चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 15 अगस्त- 21 अगस्त 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम फेल, सात लाख नोटिस बैरंग वापस

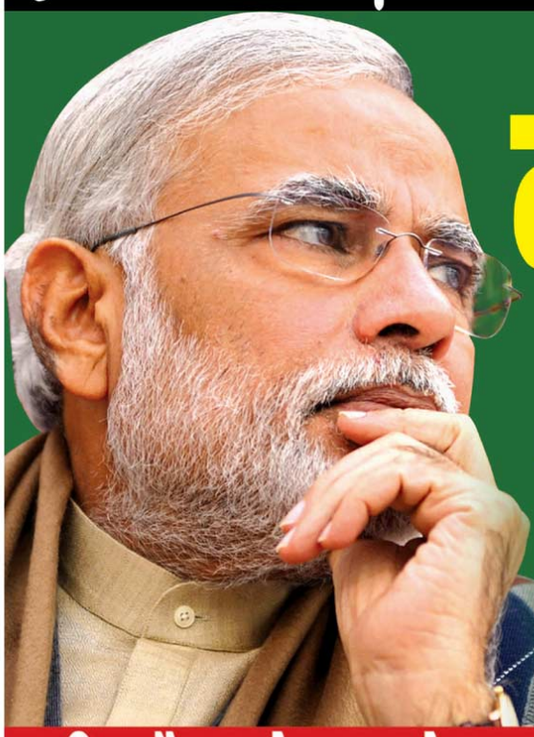

काला धन जीता महाबली हारे

समीक्षा बैठक छोड़ कर चले गए राजस्व सचिव, होर्डिंग्स से पीएम की तस्वीरें हटाने का निर्देश

प्रभात रंजन दीन

काला धन उजागर करने की केंद्र सरकार की योजना इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम (आईडीएस) फेल हो गई. अरबों रुपये का लेन-देन करने वाले लोगों का पता फर्जी पाया गया है. छह लाख 90 हजार नोटिसें बैरंग वापस लौट आई हैं. स्कीम के ध्वस्त होने से धराशाई केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया समीक्षा बैठक अधूरी छोड़ कर चले गए. आईडीएस के प्रचार के लिए लगाई गई होर्डिंग्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है. यह तीन महत्वपूर्ण तथ्य इस विस्तृत खबर के सूत्र हैं.

आईडीएस योजना के तहत काले धन का पता लगाने की कवायद में यह खुलासा हुआ कि बैंकों के जरिए बहुत बड़ी तादाद में काले धन का ट्रांजैक्शन हो रहा है. सारे नियम-कानून ताक पर रख कर देश के विभिन्न बैंक पैन नंबर दर्ज किए बगैर करोड़ों और अरबों रुपये का लेन-देन धड़ल्ले से कर रहे हैं. केंद्र सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या किया जाए! पैन नंबर दर्ज किए बगैर हुए करोड़ों और अरबों रुपये के सात लाख बड़े व सामूहिक लेन-देन (क्लस्टर ट्रांजैक्शन) से सम्बन्धित लोगों को जो नोटिसें भेजी गई थीं, उनमें से छह लाख 90 हजार नोटिसें 'एड्रेसी नॉट फाउंड' लिख कर वापस आ गईं. इन सात लाख बड़े ट्रांजैक्शंस में जो पते लिखाए गए थे, उन पतों पर कोई नहीं मिला. न नाम का पता चल पा रहा है, न पते पर कोई पाया जा रहा है और न उनके

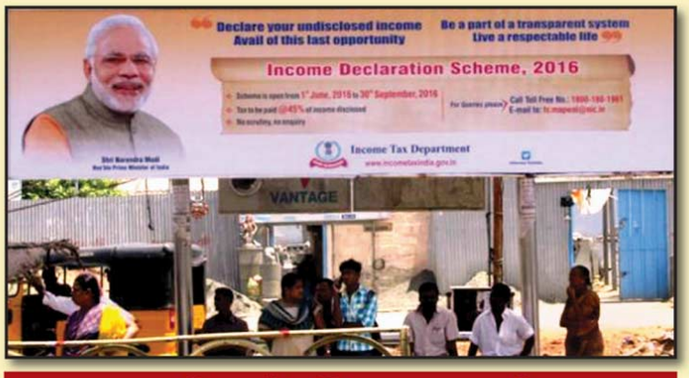

बिना पैन नंबर इंट्री के हुआ अरबों का लेन-देन

केवाईसी (नो योर कस्टमर) का ही कोई ओर-छोर मिल रहा है. 90 लाख बैंक लेन-देन (ट्रांजैक्शन) पैन नंबर के बगैर हुए, जिनमें 14 लाख बड़े (हाई वैल्यू) ट्रांजैक्शन हैं और सात लाख बड़े ट्रांजैक्शन हाई-रिस्क वाले हैं. इन्हीं सात लाख ट्रांजैक्शन के सिलसिले में नोटिसें जारी हुई थीं, जो लौट कर वापस आ गईं और केंद्र सरकार की इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम (आईडीएस) की धज्जियां उड़ा गईं.

काला धन पकड़ने के नायाब फार्मूले की तरह पेश की गई इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम (आईडीएस) अपनी निर्धारित अवधि के डेढ़ महीने पहले ही आधिकारिक किंतु अघोषित तौर पर फेल मान ली गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र द्वारा बहुप्रचारित स्कीम की कानूनी और व्यवहारिक खामियों ने आईडीएस का बीच रास्ते में ही बंटाधार कर दिया. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से फौरन निर्देश जारी होने लगे कि आईडी स्कीम की तमाम होर्डिंग्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटा ली जाएं. आईडीएस को मॉनीटर कर रहे केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने 30 जुलाई की समीक्षा बैठक अधूरी ही छोड़ दी. पिछले दो महीने से प्रत्येक शनिवार को हो रही समीक्षा बैठक को अचानक अधर में छोड़ कर चले जाने से आईडीएस योजना का संचालन कर रहा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और उसके तहत काम करने वाला आयकर विभाग स्तब्ध है. केंद्रीय राजस्व सचिव के निर्देश पर ही सात लाख बड़े ट्रांजैक्शन से सम्बद्ध लोगों को नोटिस भेजी गई थी. वापस लौट आई नोटिसों का अब आयकर विभाग क्या करे! यह सवाल अधिकारियों को और परेशान कर रहा है. जिन बैंकों के जरिए ये ट्रांजैक्शन हुए, उन बैंकों से पूछताछ करने या उनकी संलिप्तता के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सीबीडीटी या आयकर विभाग को नहीं है. यह अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक को है. आडीएस योजना बनाने वाले महान योजनाकारों ने स्कीम लागू करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक को शामिल ही नहीं किया था. लिहाजा, पैन नंबर दर्ज किए बगैर देश के विभिन्न बैंकों के जरिए हुए सात लाख क्लस्टर (समूहों में किए गए) हाई-रिस्क ट्रांजैक्शन, 14 लाख हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन और 69 लाख मध्यम ट्रांजैक्शंस के लिए बैंकों की संलिप्तता प्रमाणित होने हुए भी बैंकों को दोषी ठहराना मुश्किल हो रहा है. शासन को पता है कि देश के विभिन्न बैंकों के माध्यम से काले धन का ट्रांजैक्शन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन देश के नीति-नियंता बैंकों के संदेहास्पद रोल पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं. ऐसे में आईडीएस जैसी स्कीमें देश के साथ धोखा नहीं हैं तो क्या हैं? आईडीएस स्कीम बनाने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के 'विद्वानों' ने काले धन का पता लगाने की योजना में भारतीय रिजर्व बैंक को शामिल क्यों नहीं किया? यह सवाल सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा. क्योंकि इस स्कीम में इतनी ढेर सारी खामियां हैं कि पीएमओ किस सवाल का जवाब दे और किसका नहीं. उन खामियों पर चर्चा हम खबर के साथ करते जाएंगे.

आईडी स्कीम पीएमओ ने बनाई, रह गई कई खामियां

छह लाख 90 हजार नोटिसें जब मुंह लटकाए वापस आ गईं तो राजस्व सचिव भी सन्नाटे में आ गए. समीक्षा बैठक में भी सवाल उठा कि वापस आई नोटिसों का जड़-मूल पता लगाने के लिए सरकार के पास तंत्र क्या है? बैंकों से पूछा नहीं जा सकता. किसी केंद्रीय एजेंसी से मदद ली नहीं जा सकती. राज्य सरकारों को इन्वॉल्व किए बगैर राज्य के तंत्र या थानों को छानबीन में लगाया नहीं जा सकता. इन सारी अड़चनों का पूर्वानुमान लगाए बगैर स्कीम लॉन्च कर दी गई और यह किसी कारगर परिणाम तक नहीं पहुंच पाई. वापस लौट कर आई नोटिसों के सूत्र पता लगाने के लिए अब आयकर विभाग को ही कहा जा रहा है. आयकर विभाग का कहना है कि आईडीएस के लिए निर्धारित समय सीमा में यह पता लगाया जाना असंभव है. इसकी विस्तार से छानबीन के लिए बड़ी तादाद में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी. आईडीएस की समय-सीमा 30 सितम्बर तक ही है. इन स्थितियों के एक साथ सामने आते ही राजस्व सचिव ने हथियार डाल देना ही बेहतर समझा. उल्लेखनीय है कि राजस्व सचिव के नेतृत्व में ही सीबीडीटी आईडीएस की निगरानी कर रहा है. समीक्षा बैठक में राजस्व सचिव हंसमुख अधिया, सीबीडीटी के चेयरमैन अतुलेश जिंदल, मेंबर रेवेन्यु गोपाल मुखर्जी, मेंबर इन्वेस्टिगेशन सुशील चंद्रा और मेंबर आईटी एसके सहाय के साथ आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर्स और डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक रहते हैं. अतुलेश जिंदल के लिए वह अधूरी बैठक ही आखिरी बैठक साबित हुई, क्योंकि अगले ही दिन वे रिटायर हो गए. जिंदल के रिटायर होने के बाद रानी सिंह नायर चेयरमैन बनाई गई हैं. चेयरमैन बनने के पहले रानी सिंह नायर सीबीडीटी में ही लेजिस्लेशन एंड कम्प्यूटराइजेशन महकमे की प्रमुख (मेंबर एल एंड सी) के पद पर तैनात थीं. आईडी स्कीम बनाने में रानी सिंह नायर की प्रमुख भूमिका रही है. पैन नंबर के बगैर किए गए सात लाख 'हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन' से जुड़े लोगों और समूह को नोटिस जारी किए जाने के बारे में सीबीडीटी से सम्बद्ध आयकर आयुक्त मीनाक्षी जे. गोस्वामी का कहना है कि आयकर विभाग की आंतरिक तकनीक के जरिए ऐसे तमाम अकाउंट का पता लगा. उन्होंने माना कि पिछले छह वर्ष के दरम्यान ऐसे 90 लाख ट्रांजैक्शंस हुए, जिनमें 14 लाख हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन और सात लाख उच्च-जोखिम (हाई-रिस्क ट्रांजैक्शन) (शेष पृष्ठ 2 पर)

राजस्व सचिव के खिलाफ आईआरएस

आयकर विभाग में मानव संसाधन की कमी का हाल यह है कि आईडी स्कीम की आखिरी तारीख यानी 30 सितम्बर तक के लिए आयकर विभाग के सारे अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. आयकर विभाग के अधिकारी पिछले एक जून से लगातार काम कर रहे हैं. स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया की निरंकुश कार्यशैली के खिलाफ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी भीषण नाराज हैं. कई राज्यों में इंडियन रेवेन्यू सर्विस फेडरेशन की अधिकांश इकाइयां राजस्व सचिव का खुला विरोध कर रही हैं. यह विरोध अब संगठित होता हुआ आईएएस बनाम आईआरएस में तब्दील होता दिख रहा है. कई संघों ने विरोध का बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है. केंद्रीय राजस्व सचिव के निर्देशों को आईआरएस के अधिकारी अपनी स्वायत्तता पर प्रहार मान रहे हैं. आईआरएस राजस्व सचिव का पद समाप्त करने की मांग कर रहा है. आईडी स्कीम की समीक्षा बैठक को तुनक कर छोड़ दिए जाने के बाद केंद्रीय राजस्व सचिव के खिलाफ माहौल और तनावपूर्ण हो गया है.

घोषणा में रुचि कम, कर चोरी पर ध्यान अधिक

काला धन जीता, महाबली हारे

पृष्ठ 1 का शेष

वाले लेन-देन पाए गए. उन्हीं सात लाख ट्रांजैक्शंस से सम्बद्ध लोगों को नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया था.

वित्त मंत्रालय के ही आला अधिकारी कहते हैं कि करोड़ों और अरबों रुपये के लेन-देन (ट्रांजैक्शन) में बैंकों द्वारा पैन नंबर की अनिवार्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जाना और केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाना बैंकों की अराजकता और मिलीभगत का प्रमाण है. तकनीकी व्यवस्था लागू है कि एक वर्ष की अवधि में भी अगर 10 लाख रुपये डिपॉजिट हुए या लेन-देन हुआ तो वह फाइनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (वित्तीय खुफिया इकाई) के समक्ष खुद ब खुद फ्लैग करने लगेगा. लेकिन वह फ्लैग नहीं हुआ, तो स्पष्ट है कि बैंक केवाईसी नियमों और पैन नंबर इंट्री के नियम को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं. बैंकों के ऊपर केवाईसी का कोई दबाव भी नहीं है. बैंकों पर खाता खोलने का टार्गेट और कर्ज बांटने का लक्ष्य पूरा करने का दबाव रहता है. बैंकों का यह स्पष्ट कहना है कि वे अपना प्राथमिक काम करें कि केवाईसी ही भरवाते रहें. साफ है कि बैंक के माध्यम से हो रहा नॉन पैन ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का प्रमुख जरिया बना हुआ है. पैन नंबर दर्ज किए बगैर होने वाले लेन-देन के लिए सीधे तौर पर बैंक दोषी हैं, फिर बैंकों पर इसका दायित्व तय किया जाएगा कि नहीं? इस सवाल पर वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं तय हो रही है. जिन बैंकों ने यह काम किया उन बैंकों से कौन पूछेगा? पूछने का अधिकार केवल आरबीआई का है, लेकिन इस स्कीम को लागू कराने में आरबीआई को शामिल ही नहीं किया गया है. इस स्कीम को केवल वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग मॉनीटर कर रहा है. आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट रहता तो बैंकों से पूछा जाता. बैंकों में केवाईसी नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं इसे भी आरबीआई ही देखने के लिए अधिकृत है, कोई दूसरा विभाग इसकी जांच नहीं कर सकता है. आईडीएस लागू करने की जिम्मेदारी अकेले आयकर विभाग को दे दी गई और स्कीम के फेल होने का ठीकरा भी आयकर विभाग के ही सिर फोड़े जाने की तैयारी है. वित्त विभाग के उक्त आला अधिकारी ने आईडीएस के धागे खोल कर रख दिए. उन्होंने कहा कि शनिवार 30 जुलाई की रिव्यू मीटिंग को राजस्व सचिव द्वारा अधूरा छोड़ कर चला जाना और होर्डिंग्स से पीएम की तस्वीर हटाने का निर्देश जारी होना ही आईडीएस के फेल होने की सनद है. अगर विजय हो रही होती तो निर्देश आता कि पीएम की फोटो से होर्डिंगें पाट दी जाएं. वे कहते हैं कि स्कीम फेल हो चुका, दो-चार हजार करोड़ आ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यह सागर में बूंद गिरने जैसा होगा. फॉरेन ऐसेट डिक्लेयरेशन स्कीम में ही कितना आ गया? छह हजार करोड़ आया. क्या है यह रकम? हम लोग आधी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आधी इकोनॉमी काला धन है. इस संदर्भ में छह हजार करोड़ क्या होता है?

(शेष पृष्ठ 3 पर)

काले धन के धंधेबाजों को प्रोत्साहित करता है पीएम का कथन

काला धन सामने लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक जून को इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम लॉन्च की थी जो 30 सितम्बर तक चलेगी. इसमें यह छूट दी गई कि अघोषित आय बताने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और निर्धारित टैक्स देने के बाद उनकी सम्पत्ति वैध हो जाएगी. तकनीकी रूप से आय घोषणा योजना-2016 को वित्त अधिनियम-2016 के नौवें अध्याय में शामिल कर इसे 1 जून 2016 से लागू किया गया. योजना 30 सितंबर 2016 तक लागू रहेगी और जुर्माने का भुगतान 30 नवंबर तक कर देना होगा. आय की घोषणा ऑनलाइन या देशभर में मुख्य आयुक्तों के समक्ष दाखिल की जा सकेगी. बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईडीएस को लेकर देशवासियों को जो बातें कही थीं उसे फिर से पढ़ें तो पीएम की बातों से ही स्कीम के धराशाई होने के छेद मिल जाएंगे. पीएम ने देश के लोगों से कहा कि जो भी पुराना अघोषित पड़ा हो उसकी घोषणा कर मुक्त हो जाइए. ऐसा कहने के पहले पीएम को आयकर अधिनियम की धारा 149 के बारे में अधिकारियों ने ठीक से ब्रीफ नहीं किया था. बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों को प्रधानमंत्री की वह बात भी पसंद नहीं आई कि 'अघोषित आय के सम्बन्ध में सरकार को जो लोग जानकारी देंगे, सरकार उनके खिलाफ कोई जांच नहीं करेगी. इतना धन कहां से आया और कैसे आया इसके बारे में भी पूछा नहीं जाएगा.' इस कथन पर उनका कहना था कि सरकार का यह रवैया लोगों को काला धन जमा करने और कुछ अर्से बाद टैक्स भर कर काले को सफेद कर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है. खैर, पीएम का वह बयान देखें...

'मेरे प्यारे देशवासियो, आज मैं एक बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूं. एक ज़माना था, जब टैक्स इतने व्यापक हुआ करते थे कि कर में चोरी करना स्वभाव बन गया था. एक ज़माना था, विदेश की चीज़ों को लाने के सम्बन्ध में कई प्रतिबंध थे, तो तस्करी भी बढ़ जाती थी. लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदलता गया है. अब करदाता को सरकार की कर-व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं. एक पीढ़ी अभी लगता है कि भाई, सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है. मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग कर के हम अपने सुख-चैन गंवा देते हैं. कोई भी छोटा-मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है. हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के सम्बन्ध में, अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, सरकार को अपना सही-सही ब्यौरा दे दें. एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो, उससे मुक्त हो जाइए. इस बोझ से मुक्त होने के लिए मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं. जिन लोगों के पास अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिए. सरकार ने 30 सितम्बर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है. जुर्माना देकर हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं. मैंने यह भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कियत के सम्बन्ध में, अघोषित आय के सम्बन्ध में सरकार को अपनी जानकारी देंगे, तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी. इतना धन कहां से आया, कैसे आया, इस बारे में भी पूछा नहीं जाएगा और इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए. साथ-साथ मैं देशवासियों को कहना भी चाहता हूं कि 30 सितम्बर तक की ये योजना है, इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए. मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितम्बर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो, जो सरकारी नियमों जुड़ना नहीं चाहता है, तो उनकी कोई मदद नही हो सकेगी. मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि 30 सितम्बर के बाद ऐसा कुछ भी न हो, जिससे आपको कोई तकलीफ हो, इसलिए भी मैं कहता हूं, अच्छा होगा 30 सितम्बर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और 30 सितम्बर के बाद संभावित तकलीफों से अपने-आप को बचा लें.'

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 24
15 अगस्त- 21 अगस्त 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
बैंक कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

State Bank of India
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
Bank of India Relationship beyond banking
Canara Bank
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India
Union Bank of India
IDBI BANK
सिंडिकेट बैंक SyndicateBank
Corporation Bank
यूको बैंक UCO BANK
इंडियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank
इंडियन बैंक Indian Bank
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
ALLAHABAD BANK (A Govt. of India Undertaking)
देना बैंक DENA BANK
विजया बैंक VIJAYA BANK
बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra ONE FAMILY ONE BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर State Bank of Bikaner and Jaipur The Bank with a vision
यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया United Bank of India The Bank that begins with "U"
ICICI Bank
IDBI BANK
HDFC BANK
YES BANK EXPERIENCE OUR EXPERTISE
citibank
AXIS BANK

फॉर्म 60 और 61 की आड़ लेकर अंधाधुंध लेन-देन किए जा रहे हैं. इसका इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर कर चोरी में किया जा रहा है. इस चोरी में बैंक मददगार हैं. फॉर्म 60 और 61 का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिनकी आय का साधन सिर्फ कृषि है. विभिन्न बैंकों में बड़ी तादाद में फॉर्म 60 और 61 के खाली पड़े प्रपत्र पाए गए, जिनपर केवल हस्ताक्षर हैं, लेकिन उस पर कोई ब्यौरा भरा हुआ नहीं है और लेन-देन जारी है.

काला धन जीता, महाबली हारे

पृष्ठ 2 का शेष

अंदर की बात यही है कि इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में बनी थी, टीपीएलडी से मुहर लगवाने की केवल औपचारिकता निभाई गई थी. सीबीडीटी में एक डिवीजन होता है टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन डिवीजन (टीपीएलडी), जो किसी भी नए प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं पर विचार करता है और कानून मंत्रालय से परामर्श करने के बाद उसे अपनी मंजूरी देता है. विडंबना यह है कि टीपीएल डिवीजन में आईडीएस स्कीम का मसौदा मात्र तीन दिन रहा, उस पर टीपीएलडी की मुहर लगाने की केवल औपचारिकता पूरी की गई और पीएमओ भेज दिया गया. इस आपाधापी में भीषण कानूनी खामियां रह गईं.

आईडीएस में पुरानी अघोषित सम्पत्ति का भी पुनरनिर्धारण कर उसका टैक्स वसूलने का प्रावधान कर दिया गया. इसके लिए इन्कम टैक्स ऐक्ट की धारा 148 का हवाला दिया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि जो निर्धारण (असेसमेंट) पूर्ण हो गया हो उसे रि-ओपेन किया जा सकता है. असेसमेंट दो साल के अंदर पूरा कर लिया जाता है. लेकिन उसी आयकर अधिनियम की धारा 149 में पुनरनिर्धारण की समय सीमा छह साल तय है. आईडीएस बनाने वाले लोगों ने इस धारा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया और स्कीम लागू कर दी. आईडीएस को जमीन पर लागू करने में लगे आयकर अधिकारियों को छह साल से अधिक की अघोषित सम्पत्ति के संदर्भों को कार्रवाई की परिधि में लेने में कानूनी मुश्किलें पेश आ रही हैं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले निश्चित तौर पर अदालत में जाएंगे और वहां सरकार की हार होगी. आयकर और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ निर्धारित समय के पार हो चुकी अघोषित सम्पत्तियों पर कर वसूलने के फैसले को अधिकार क्षेत्र का कानूनी अतिक्रमण बताते हैं. उनका कहना है कि स्कीम में इस तरह की कई अन्य कानूनी खामियां भी हैं.

इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया में यह भी सामने आया कि फॉर्म 60 और 61 की आड़ लेकर भी अंधाधुंध लेन-देन किए जा रहे हैं. इन दो फॉर्म की सुविधा पैन कार्ड नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर कर चोरी में किया जा रहा है और बैंक इस चोरी में मददगार हैं. प्रावधान यह है कि फॉर्म 60 और 61 का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिनकी आय का साधन सिर्फ कृषि है. लेकिन कर चोर इस सुविधा का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर्म 60 और 61 के साथ राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली बिल या रिहाइश प्रमाणपत्र देने होते हैं, लेकिन छानबीन के दौरान विभिन्न बैंकों में बड़ी तादाद में फॉर्म 60 और 61 के खाली पड़े प्रपत्र पाए गए, जिनपर केवल हस्ताक्षर हैं, लेकिन उस पर कोई ब्यौरा भरा हुआ नहीं है और उन पर खूब लेन-देन किए गए हैं. बांग्लादेशी आप्रवासी भी भारी तादाद में फॉर्म 60 और 61 का फायदा उठा रहे हैं और आयकर नहीं दे रहे हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा, बिहार और झारखंड में ऐसे ढेर सारे मामले उजागर हुए हैं.

इस बारे में पूछने पर वित्त विभाग के आला अधिकारी ने कहा, 'नागरिकता का प्रश्न छोड़ दीजिए, जो यहां रहते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, इसका कोई नियम ही नहीं बना है. हम भारत में रहने वाले लोगों की मैपिंग चाहते हैं. आप कहीं भी बैंक में खाता खोलें, आप कहीं भी वित्तीय लेन-देन करें आप मैप में रहें. हम अमेरिका जाते हैं तो टैक्स देते हैं कि नहीं! देश के लिए वित्तीय-प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हम वैसे कंसर्न हों जब टैक्स देने में भी यह बाधा सामने आ जाए कि आप देश के नागरिक हैं कि नहीं. इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कहां के नागरिक हैं. आप भारत में रह रहे हैं, यहां कमाई कर रहे हैं, यहां बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे. आपने जमीन खरीदी, बैंक एफडी बनाई, खाता खोला, नकद ट्रांजैक्शन किया, आपने शेयर खरीदा या निवेश में पैसा लगाया, आपने सोना खरीदा, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो रही. वो टैक्स भी नहीं दे रहे.' उक्त अधिकारी ने कहा, 'आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं और बैंक मैनेजर को फॉर्म 60, 61 दे देते हैं तो टैक्स नहीं मांगा जाएगा. बैंकों में केवल हस्ताक्षर किए हुए बिना भरे हुए फॉर्म 60, 61 ढेर के ढेर पड़े हैं और उसपर ट्रांजैक्शन होता रहता है. उस पर कोई ब्यौरा भी नहीं रहता कि कितना खेत और कहां खेत. फॉर्म पर न डिपॉजिटर का नाम है, न पता है, न पेशा है, न उम्र है, ऐसी तो अंधेरगर्दी है. फिर कैसे डिसाइड हो कि वह कौन है.' ऐसी मुश्किलों से देश की वित्तीय व्यवस्था गुजर रही है. विडंबना यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पर चिंता और आश्चर्य जता चुके हैं कि 120 करोड़ की आबादी वाले देश में 50 लाख की आमदनी वाले मात्र डेढ़ लाख ऐसे लोग हैं जो आयकर देते हैं. जबकि 50 लाख से अधिक की आमदनी वाले लोगों की आबादी कुछ शहरों में ही लाखों में है.

आयकर चुराने के लिए फॉर्म 60 और 61 के बेजा इस्तेमाल के बारे में बताते हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2011 में कृषि आय के नाम पर करीब दो हजार लाख करोड़ रुपये की अघोषित सम्पत्ति उजागर हुई थी. यह वह रकम थी जिसे फॉर्म 60 और 61 से मिलने वाली सुविधा की आड़ लेकर बचाई गई थी. तभी इसका आधिकारिक तौर पर खुलासा हुआ था कि किसानों के वेश में काले धन का धंधा करने वाले लोग सक्रिय हैं और बैंकों की मिलीभगत से फॉर्म 60 और 61 का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं. कृषि क्षेत्र के नाम पर होने वाली आय की इस भारी राशि पर सरकार का ध्यान भी गया, लेकिन फिर भी कर चोरी रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ. कृषि आय के नाम पर होने वाले काले धन के धंधे में शामिल बड़े नेताओं और नौकरशाहों के नाम सरकार को पता हैं, लेकिन उन पर हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं है. खेती से होने वाली आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता. इस सुविधा का कर चोरों ने इतना फायदा उठाया कि वर्ष 2004 में खेती से कमाई दिखाने वाला महज एक व्यक्ति था वह अचानक वर्ष 2008 में बढ़ कर दो लाख से अधिक हो गया. यानी वर्ष 2008 में दो लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म 60 और 61 दिखा कर टैक्स चुरा लिया. वर्ष 2008 में खेती से कमाई गई 17 हजार 116 करोड़ रुपये की अघोषित राशि का खुलासा हुआ था जो 2011 में बढ़कर 2000 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह राशि लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा. सरकार कहती रही कि जांच हो रही है. सीबीडीटी ने भी खेती से होने वाली इस अकूत आय का रहस्य जांचने का दावा किया और कहा कि एक करोड़ से अधिक कमाई वालों की पड़ताल की जाएगी. लेकिन हुआ क्या? वर्ष 2010 से लेकर 2013 के बीच 1080 लोगों की जांच हुई और वर्ष 2007 से लेकर 2015 के बीच मात्र 2746 लोग ही जांच की परिधि में आए. मतलब, ढाक के तीन पात. ■

prabhatranjandeen@gmail.com

नाकाम रही है विदेशों में जमा काला धन निकालने की योजना

विदेशों में रखे काले धन के बारे में स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति योजना भी पिछले साल नाकाम हो चुकी है. इसके बावजूद केंद्र सरकार इस योजना को फिर से लागू करने के बारे में विचार कर रही है. पिछले वर्ष इस संदर्भ में केवल 638 खुलासे हुए जिसमें विदेशों में 3,770 करोड़ रुपये की अघोषित सम्पत्ति का ही पता चल पाया. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 6,500 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी परिसम्पत्ति का खुलासा हुआ है. इसके बाद सरकार ने घोषणा की थी कि जिन लोगों ने विदेशों में जमा काले धन और परिसम्पत्तियों का खुलासा नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. लोकसभा चुनाव के दरम्यान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 80 लाख करोड़ रुपए की राशि विदेश में जमा है, जिसे वे सत्ता मिलने के सौ दिन के भीतर देश वापस ले आएंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. विदेशों में जमा अघोषित धन सामने आने के लिए पिछले साल लाई गई स्कीम के समय भी राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ही थे. उन्होंने भी कहा था कि सरकार अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी जिन्होंने विदेश में जमा कालेधन या परिसम्पत्तियों का खुलासा नहीं किया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्रधानमंत्री के 6,500 करोड़ रुपये के दावे के वरक्स हंसमुख अधिया ने यह स्वीकार किया था कि 638 लोगों ने अपने बैंकों खातों समेत विदेशी निवेश या विदेशी परिसम्पत्तियों की घोषणा की और कुल 3,770 करोड़ रुपये की रकम का खुलासा हुआ.

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जो त्रैमासिक स्कीम चलाई थी उसका सारा जोर एक दबाव सृजित करने को लेकर था. देश के भीतर काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है. विदेशों में भी भारतीयों की अकूत सम्पत्ति जमा है. यह नकद राशि के रूप में भी है और अचल सम्पत्ति के रूप में भी है. केंद्र सरकार वर्ष 2017 में 90 देशों के बीच होने जा रहे समझौते के प्रति काफी आशान्वित है, जिसमें शामिल सभी देश काले धन की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सहमत हो गए हैं. काला धन जमा करने को लेकर कुख्यात देशों पर अमेरिका का भी काफी दबाव है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आशंका गहरा रही है कि काले धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है.

उक्त अधिकारी ने कहा कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस भारत लाना इसलिए भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि काला धन जमा करने वाले लोगों में देश के बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े नौकरशाह, बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े सामर्थ्यवान दलाल शामिल हैं. काला धन जमा करने का सबसे बड़ा स्रोत देश स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाता खोलने की न्यूनतम राशि ही 50 करोड़ डॉलर होती है. इससे भारत से काला धन ले जाने वालों की 'औकात' का अंदाजा लगाया जा सकता है. हवाला के जरिए देश का धन बेतहाशा दूसरे देशों में जा रहा है. फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैंटेनेंस एक्ट) आने से हवाला का धंधा करने वालों पर फेरा (फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट) जैसे सख्त कानून का भी खौफ नहीं रहा. अब तो 'जुर्माना भरो और धंधा करो' जारी है.

शुरुआती दौर में स्विस बैंक एसोसिएशन ने कहा था कि गोपनीय खातों में भारत के लोगों की 1,456 अरब डॉलर की राशि जमा है. लेकिन भारत सरकार ने इसे हासिल करने की कोई कारगर पहल नहीं की. बताया जाता है कि भारतीय मुद्रा में 300 लाख करोड़ रुपये का काला धन अकेले स्विस बैंकों में जमा है. उस समय एक आकलन भी आया था कि उक्त राशि भारत को वापस मिल जाए तो देश के प्रत्येक जिले को 50,000 करोड़ रुपये मिल जाएंगे. ■

काला धन पकड़ने के नायाब फार्मूले की तरह पेश की गई इन्कम डिस्क्लोज़र स्कीम (आईडीएस) अपनी निर्धारित अवधि के डेढ़ महीने पहले ही आधिकारिक किंतु अघोषित तौर पर फेल मान ली गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र द्वारा बहुप्रचारित स्कीम की कानूनी और व्यवहारिक खामियों ने आईडीएस का बीच रास्ते में ही बंटाधार कर दिया. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से फौरन निर्देश जारी होने लगे कि आईडी स्कीम की तमाम होर्डिंग्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटा ली जाएं.

पिछले साल भी कम हुई थी घोषणा

केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्वैच्छिक घोषणा की स्कीम लागू की थी. उस स्कीम में महज तीन सौ स्वीकारोक्तियां आई थीं और तीन हजार करोड़ की सम्पत्ति घोषित हुई थी. उनमें केवल एक व्यक्ति ने दो सौ करोड़ की अवैध सम्पत्ति की घोषणा की थी. इस बार भी आईडी स्कीम के तहत स्वीकारोक्तियों का आंकड़ा उत्साहजनक नहीं है. अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फिर्नेंशियल इंटेग्रिटी इंडिया की रिपोर्ट है कि देश से हर साल 45 से 50 बिलियन डॉलर काला धन विदेश जाता है. उस हिसाब से स्वैच्छिक घोषणाओं से आने वाली रकम कुछ भी नहीं है. काले धन का धंधा देश में पिछले काफी अर्से से फल-फूल रहा है, लेकिन अब दुस्साहसिकता बहुत अधिक बढ़ गई है. वर्ष 1997 में स्वैच्छिक घोषणा स्कीम (वॉलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम) के तहत सरकार के खजाने में सात हजार आठ सौ करोड़ रुपए जमा हुए थे. आज यह स्वीकारोक्तियां घट कर नगण्य हो गई हैं, जबकि काले धन का धंधा अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ गया है. ■

सरकार का दावा हवा-हवा

केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले दो वर्षों के दरम्यान 50 हजार करोड़ रुपये की अप्रत्यक्ष कर चोरी पकड़ी गई और 21 हजार करोड़ रुपये की अघोषित आय का भी पता लगाया गया. दो साल में 3,963 करोड़ रुपये के तस्करी के सामान भी जब्त किए गए. वित्त मंत्रालय का तर्क है कि प्रवर्तन उपाय बढ़ाने और सक्रिय करने से 50 हजार करोड़ रुपये की अप्रत्यक्ष कर चोरी का पता लगाया जा सका और 21 हजार करोड़ रुपये की अघोषित आय का भी सुराग हासिल हो सका. कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबी शाह की अगुआई में बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के जरिए भी काफी सफलता हासिल हुई और 1,466 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जा सकी. इस पर वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि प्रवर्तन को दुरुस्त करने से जब अप्रत्यक्ष करों की इतनी बड़ी चोरी और अतनी बड़ी अघोषित आय का पता लगाया जा सकता है तो फिर इन्कम डिस्क्लोज़र जैसी खर्चीली स्कीमें चलाने का क्या औचित्य है?

ओड़ीशा

1 गांव, 100 दिन, 19 बच्चों की मौत

भूख और कुपोषण से ग्रस्त हैं जनजातीय समूह

शशि शेखर

ओड़ीशा के जाजपुर जिले का एक ब्लॉक है सुकिंदा. इसी ब्लॉक के तहत आता है नगड़ा गांव. इस गांव में आप जाएं तो आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा. लेकिन, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि तीन-चार महीनों के अंदर इस गांव में 19 बच्चों की मौत हो गई है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला? स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलीं या फिर कुपोषण से उनकी मौत हुई? कई सवाल आपके मन में कौंध जाएंगे. खाद्य सुरक्षा क़ानून, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा जैसे कई क़ानून, विकास की बातें और भारत बदल रहा है के तमाम दावों के बाद भी अगर किसी गांव में 19 बच्चों की मौत हो जाए, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे?

फिलहाल, इस घटना के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक नगड़ा गांव के इन बच्चों को एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पोषण और स्वास्थ्य सेवा का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नहीं मिल पा रहा था. इस गांव का निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र आठ किलोमीटर की दूरी पर है. यह आंगनबाड़ी केंद्र 2007 में स्थापित किया गया था. लेकिन, सच्चाई ये है कि यह आंगनबाड़ी केंद्र कागज पर तो मौजूद है, लेकिन वास्तव में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है. यह आंगनबाड़ी केंद्र एक पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके में बनाया गया था. सवाल है कि जब ऐसी जगहों पर अधिकारी और कर्मचारी तक जाने से कतराते हैं, तो कोई गर्भवती महिला या छोटा बच्चा भला इस आंगनबाड़ी केंद्र तक जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकती है?

शिशुओं की मौत की खबर स्थानीय मीडिया में आने के बाद ओड़ीशा के ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन कर इस पूरे मामले की जांच की. इस टीम ने जुलाई में उक्त गांव का दौरा किया और जो तथ्य पेश किए, उससे पता चला कि इन शिशुओं की मौत किन वजहों से हुई. इस टीम में राइट टू फुड से जुड़े प्रदीप प्रधान, कलांडी मलिक, सुधीर मोहंती, अधिवक्ता, उड़ीसा हाईकोर्ट, आरटीआई कार्यकर्ता संजय साहू, देबेन्द्र कुमार राउत और इंद्रजीत शामिल थे. इस टीम के मुताबिक नगड़ा जुआंग जनजाति समूहों की बस्ती है. यह गांव पहाड़ व जंगल से घिरा हुआ है. टाटा माइनिंग अस्पताल से यह करीब 20 किलोमीटर दूर है. गांव से जुड़ी कोई सड़क नहीं है. पहाड़ पर ट्रैकिंग कर ही यहां तक पहुंचा जा सकता है. यहां जुआंग जनजाति की कुल 250 लोगों की आबादी है. यहां से 15 किलोमीटर दूर टाटा का खनन ऑपरेशन चल रहा है. टीम ने पाया कि इस गांव के तकरीबन सभी लोग दुबले-पतले व कुपोषित हैं और उनका कद काफी कम है. 3 से 4 वर्ष के लगभग सभी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. वहां न तो आंगनबाड़ी केंद्र हैं और न ही गांव में कोई प्राथमिक स्कूल है.

टीम ने जांच में पाया कि गांव के लगभग सभी बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं. आंगनबाड़ी केंद्र में चलने वाली ममता योजना के बारे में किसी भी महिला को कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें इस योजना के तहत कभी एक रुपया मिला था. इस गांव में चारों तरफ गंदगी पसरी है, पीने के पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है. स्नान और अन्य कार्यों के लिए गांव के लोग नदी के पानी का उपयोग करते हैं. टीम ने जब गांव के निवासियों से पूछा कि उन्हें खाने के लिए क्या मिलता है, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था. टीम को पता चला कि जुआंग जनजाति के इन लोगों को केवल चावल, पेड़ों की छालें व पत्तियां और नमक ही मिल पाती है. टीम ने कई घरों का निरीक्षण किया और पाया कि किसी भी घर में दाल, आलू, प्याज या तेल मौजूद नहीं था. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्त्योदय अन्न योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, जुआंग समेत सभी आदिम जनजातीय समूह प्रति माह 35 किलो चावल के हकदार हैं. लेकिन इस गांव में परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से चावल की मात्रा (प्रति माह प्रति व्यक्ति मात्र 5 किलो) निर्धारित की गई है. इस प्रकार चार सदस्यों के परिवार को पूरे महीने के लिए केवल 20 किलो चावल मिल रहा है. यदि इस परिवार को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किया जाता, तो उन्हें 35 किलो चावल प्रति माह मिलता. अब, इस दोषपूर्ण सर्वेक्षण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के तहत इस गांव में किसी को भी कोई काम पिछले कई वर्षों से नहीं मिला है. टीम को गांव में किसी के पास भी जॉब कार्ड नहीं मिला. जाहिर है, इस गांव में नरेगा के तहत अभी तक कोई काम ही शुरू नहीं हुआ है.

इस गांव के 19 शिशु पहले ही कुपोषण का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं. राज्य सरकार ने शुरू में इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या मानकर मामले को दबाना चाहा, लेकिन यहां आने के बाद पता चलता है कि यहां की असली समस्या कुपोषण है, जिसके लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. नगड़ा गांव में शिशु मृत्यु के लिए चिकित्सा उपचार की कमी, कुपोषण और भूख एक बड़ी वजह है. गांव में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में प्रशासन ने लापरवाही बरती है. गांव में आईसीडीएस कार्यक्रम बच्चों के लिए लागू ही नहीं की गई है. इस योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है. सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम इन गांवों तक आते-आते दम तोड़ देते हैं.

ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ नगड़ा गांव की है. नियामगिरी के कुटिया कोंध जनजाति का भी बुरा हाल है. राइट टू फुड कैंपेन की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ ब्लॉक स्थित कुटिया कोंध जनजाति के इलाकों का भी दौरा किया. टीम ने लांजीगढ़ ब्लॉक में जुआंग जनजाति की आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, खान-पान की आदत, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की स्थितियों का आकलन करने के लिए दौरा किया. टीम त्रिलोचनपुर ग्राम पंचायत, जहां कुटिया कोंध जनजातियों का निवास है, वहां भी गई. यह क्षेत्र लांजीगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से 10 किमी दूर है. यह पंचायत नियामगिरी पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां हजारों करोड़ रुपए की बॉक्साइट अब भी सुरक्षित है. यहां ध्यान देने की बात है कि कुटिया कोंध जनजाति के लोगों ने बातचीत के दौरान वेदांता कंपनी की प्रायोजित माइनिंग ऑपरेशन पर भी अपने गुस्से का इजहार किया. वे नियामगिरी पहाड़ की सुरक्षा को लेकर दृढ़ संकल्प थे. टीम ने कुटिया कोंध जनजाति के कई गांवों का दौरा किया. पहाड़ की चोटी पर स्थित हर गांव में इस जनजाति के 8 से 10 परिवार के लोग रहते हैं. जनजाति की एक महिला सरपंच डर के कारण टीम से बात करने के लिए बाहर नहीं आई.

टीम की तथ्यपरक रिपोर्ट के मुताबिक खेमुन्डिपाडार गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में चार-पांच बच्चे दिखे, जबकि यहां बीस बच्चे केंद्र से जुड़े हैं. बच्चे बिना साग-सब्जी के घटिया क्वालिटी के चावल और पतली दाल खाते दिखे. केंद्र पर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं था और हेल्पर ही केंद्र चला रहा था. केंद्र पर कोई रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों की जानकारी मिल सके. कुटिया कोंध जनजाति के निवासियों ने बताया कि उन्हें ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कभी कोई रोजगार नहीं मिला. यहां तक कि वे जॉब कार्ड के नाम से भी अपरिचित थे. इन गांवों में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है. यहां का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है. बीजू पक्का गृह योजना व आईएवाई का बुरा हाल है. राज्य सरकार को इन योजनाओं के तहत पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद देनी थी. लेकिन तीन गांवों में सिर्फ दो मकान ही इस योजना के तहत बने दिखे. कुटिया कोंध जनजाति के विकास के लिए केंद्र सरकार की मदद से 1986 में विकास योजनाएं शुरू की गई थीं. केकेडीए ऑफिस जाने पर पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं आए हैं. एक मुख्य क्लर्क ने बताया कि केकेडीए योजना के अंतर्गत 16 ग्रामीणों को इसका लाभ मिला है. 30 साल बीत जाने के बाद भी कुटिया कोंध डेवलपमेंट एजेंसी, केकेडीए का लाभ सभी 21 ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचा है. भ्रष्टाचार, फंड के दुरुपयोग व बेहतर योजना के अभाव में कुटिया कोंध जनजाति का विकास संभव नहीं हो सका है. सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है. अन्त्योदय योजना और फुड सिक्योरिटी के बावजूद उन्हें आवश्यकता से कम चावल दिया जाता है, जिसके कारण वे आम की गुठली और पेड़ की छाल खाकर गुजर-बसर करने को मजबूर हैं. कृषि और हार्टिकल्चर संबंधी सुविधाओं के अभाव में किसान परंपरागत तरीके से पोडू और कुछ मोटे अनाज का उत्पादन करने को मजबूर हैं.

जिला प्रशासन ने 2004 में राज्य सरकार से अनुरोध किया कि सभी कुटिया कोंध जनजाति के 21 गांवों को केकेडीए योजना में शामिल कर लिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है. इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी तरफ से सिफारिश की है कि कुटिया कोंध के सभी परिवार को प्रत्येक महीने अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम चावल दिया जाए. जनजाति समूह को भूख से बचाने के लिए राज्य सरकार सर्वे कराए कि प्रत्येक परिवार को कितने चावल और अन्य अनाज की जरूरत है और उस आधार पर अनाज दिए जाएं. आंगनबाड़ी केंद्र खुलें और बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाएं. जिला स्तर पर उनके मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए. आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने, अनाज वितरण और फंड के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. केकेडीए योजना के तहत जनजाति के लोगों को सुविधा प्रदान की जाए और विस्तृत विकास योजना चलाकर कृषि और फूलों की खेती के अत्याधुनिक तरीकों को शुरू किया जाए. चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बच्चे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. रोड सुविधा के अभाव में वे अस्पताल नहीं पहुंच पाते. दो या तीन दिनों के अंतराल में यहां के लोगों को मोबाइल अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए. बेहतर सड़क सुविधाओं का नहीं होना यहां की सबसे बड़ी समस्या है. जिला प्रशासन इसके लिए जल्द कदम उठाए. लेकिन, क्या ओड़ीशा सरकार इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की सिफारिशों पर ध्यान देगी? ■

गांव में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में प्रशासन ने लापरवाही बरती है. गांव में आईसीडीएस कार्यक्रम बच्चों के लिए लागू ही नहीं की गई है. इस योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है. सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम इन गांवों तक आते-आते दम तोड़ देते हैं.

shekhar2k89@yahoo.com

ख़बर का असर

जजों की नियुक्ति पर जागी सरकार

केंद्र सरकार का मानना है कि देश के सभी हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में स्थायी सचिवालय का गठन होने से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. सरकार ने कानूनी जानकारों से सलाह-मशविरे के बाद इसे लागू करने का फैसला किया है. सरकार का मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि किसी जज की नियुक्ति किस आधार पर और क्यों की गई है? हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 50 नाम जजों की नियुक्ति के लिए भेजे थे, जिनमें से अधिकतर जजों व नेताओं के बेटे और रिश्तेदारों के नाम शामिल थे.

चंदन राय

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 'पैरवी में है दम, जज बनेंगे हम' खबर राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार 'चौथी दुनिया' में प्रकाशित होने के बाद केंद्र सरकार ने अब नियुक्ति के मामले में सख्त रुख अपना लिया है. 'चौथी दुनिया' द्वारा जजों की नियुक्ति के मामले में धांधली का मामला उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को इस मामले की जांच करने को कहा गया था. अब जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट में सचिवालय के निर्माण पर विचार कर रही है. यह सचिवालय सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले जजों की स्क्रूटनी करेगा. सचिवालय का प्रावधान मेमेरोंडम ऑफ प्रोसिजर एमओपी में भी किया गया है. इसके साथ ही सचिवालय जजों और रिटायर्ड जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत की भी जांच करेगा. हालांकि मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने के आधार पर इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं.

केंद्र सरकार का मानना है कि देश के सभी हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में स्थायी सचिवालय का गठन होने से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. सरकार ने कानूनी जानकारों से सलाह-मशविरे के बाद इसे लागू करने का फैसला किया है. सरकार का मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि किसी जज की नियुक्ति किस आधार पर और क्यों की गई है.

केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तनातनी का असर देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. अभी हालत ये है कि देश में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं. मई 2016 में मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा था कि इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए 40 हजार जजों की जरूरत है. वहीं देश में 24 हाईकोर्ट में 397 जजों के पद खाली पड़े हैं.

हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने करीब 50 नाम जजों की नियुक्ति के लिए भेजे थे, जिनमें अधिकतर जजों व नेताओं के बेटे और रिश्तेदारों के नाम शामिल थे. लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन नामों की सूची में ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक भी वकील शामिल नहीं था. इस ख़बर के छपने के बाद केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर हरकत में आ गई है.

कानूनी जानकारों का कहना है कि न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर देश में एक ऐसी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था को जन्म दिया गया, जहां जज एक कमरे में बैठकर यह तय कर लेते हैं कि उनका साथी जज कौन होगा? संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बताते हैं कि यह अपने आप में अनूठा है कि इस देश में जज ही साथी जजों की नियुक्ति करते हैं. अमेरिका में भी जजों की नियुक्ति को सीनेट से पारित कराना पड़ता है. इसी का फायदा उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों और नेताओं के नाते-रिश्तेदारों का नाम एक बंद लिफाफे में रख कर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था. अगर यह पक्षपातपूर्ण मामला सामने नहीं आता, तो अभी तक ये जज हाईकोर्ट में नियुक्त होकर लोगों को न्याय दिलाने का स्वांग रच रहे होते. लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास बहाल रहे, इसके लिए जरूरी है कि जजों की नियुक्ति की निष्पक्ष, पारदर्शी और खुली व्यवस्था अपनाई जाए. धांधलीपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया के कारण कुछ अच्छे न्यायविद् न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं और कुछ अयोग्य लोग हेरा-फेरी कर उच्च न्यायिक पदों पर आसीन होकर न्याय व्यवस्था का मखौल बनाते हैं. यही कारण है कि केंद्र सरकार अभी जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं मानती.

केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तनातनी का असर देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. अभी हालत यह है कि देश में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं. मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा था कि इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए 40 हजार जजों की जरूरत है. वहीं देश में 24 हाईकोर्ट में 397 जजों के पद खाली पड़े हैं. इसमें सबसे बुरी हालत इलाहाबाद हाईकोर्ट की है. यहां 160 जजों की जरूरत है, जबकि अभी केवल 75 जज ही कोर्ट का काम देख रहे हैं. 2014 में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर द्रमुक का दबाव था. सरकार बचाने के लिए एक जज को पदोन्नति देने के मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने न्यायिक प्रक्रिया में हलचल मचा दी थी. हालांकि कानून मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि जज के कार्यकाल विस्तार का फैसला नियमों के तहत ही लिया गया था. लेकिन न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सरकार के दबाव में आकर मनोनुकूल जजों की नियुक्ति की गई होगी और उन्होंने उपकृत होने के बाद न्याय प्रणाली का मजाक बनाया होगा. यह एक अलग जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगने के बाद यह जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बाद न्याय के उच्च पद पर आसीन लोगों की नियुक्ति करे, ताकि जनता का न्याय व्यवस्था में फिर से विश्वास बहाल किया जा सके. एक बात तो तय है कि न्यायिक प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है. इसके लिए हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जल्द बेहतर परिणाम चाहते हैं तो शुरुआत शिखर से ही करनी होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

कैम्पा क़ानून

आदिवासियों को जंगल से बेदख़ल करने का वारंट है

शफीक आलम

ओडीशा के कंधमाल ज़िले के जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव है बुलुबरू. यहां के निवासी अपना पेट भरने के लिए ज़मीन के जिस टुकड़े पर कंद मूल, फल, बाजरा इत्यादि उगाते थे, वहां वन विभाग ने सागवान के पेड़ लगा दिए हैं. यह इलाका कुटिया कोंध जनजातियों का है, जिनका जीवन बहुत हद तक वन क्षेत्र के ज़मीन के ऐसे ही खाली टुकड़ों पर निर्भर है. दरअसल वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 ने वन क्षेत्र में रहने जनजातियों को ज़मीन के जिन टुकड़ों पर थोड़ा बहुत अधिकार दिया था, अब वनीकरण के नाम पर वही टुकड़े छीने जा रहे हैं. हालांकि वन विभाग यह कहता है कि उक्त प्लांटेशन कोंध जनजातियों की साझेदारी में की गई है, जबकि कोंध लोगों का कहना है कि वन विभाग ने पेड़ लगाने के लिए उन्हें केवल 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था. लिहाज़ा अपनी ज़मीन पर ऐसे पेड़ उगाने से, जिससे कोई फल नहीं मिलता, कोंध जनजाति के लोग नाराज़ हैं. उन्होंने जीविका का साधन छीन जाने के विरोध में वन विभाग के खिलाफ राज्य सरकार को एक अर्जी दी है और विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इधर लोक सभा के बाद अब राज्य सभा ने भी कंपेन्सरी अफॉरेस्टेशन फंड (कैम्पा) बिल पारित कर दिया है, जिसे बुलुबरू की घटना ने और महत्वपूर्ण बना दिया है.

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के एक क़ानून के मुताबिक उद्योग, कारखानों और दूसरे गैर वन उपयोग के लिए काटे गये जंगलों के बदले नये पेड़ लगाने और कमज़ोर या क्षीण हो रहे जंगल को घना बनाने के लिए वन भूमि का उपयोग करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को मुआवजा देना पड़ता है. वर्ष 2002 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को लागू करने के संबंध में टीएन गौडाबर्मन थिरुमूलपाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि इस मद में जमा फंड या तो खर्च नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है. इसी टिप्पणी के मद्देनज़र तत्कालीन यूपीए सरकार ने वर्ष 2008 में कैम्पा बिल पेश करने की कोशिश की थी, जिसका स्वरूप मौजूदा बिल से मिलता-जुलता था. इस बिल को नामंज़ूर करते हुए स्थायी समिति ने एफआरए के तहत दिए गए अधिकारों का भी हवाला दिया था. बहरहाल किसी कानून के अभाव में यह फंड राज्यों को जारी नहीं हो सका और अब इस फंड की राशि 40 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. गौरतलब है कि इस फंड का 90 प्रतिशत राज्य और 10 प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा और इसका इस्तेमाल नये जंगल लगाने और वन्य जीवों को बसाने, फॉरेस्ट इको सिस्टम को सुधारने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिये होगा.

बहरहाल मौजूदा केंद्र सरकार ने कैम्पा बिल 2015 में पेश किया था, जिसे लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था. चूंकि राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल में एफआरए के तहत ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों के अनुरूप ग्राम सभा की सहमति के क्लॉज़ को शामिल कराना चाहती थीं. इस संबंध में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया था. पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के इस आश्वासन के बाद कि इसमें विपक्ष द्वारा उठाई गई अपत्तियों को इस अधिनियम के तहत बनाने वाले कानून में शामिल कर लिया जायेगा. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि उस कानून से वांछित नतीजे नहीं मिलते तो एक साल बाद इस पर विचार के लिए फिर से संसद में लाया जाएगा. इसके बाद जयराम रमेश ने अपना संशोधन वापस ले लिया और राज्य सभा ने भी इस बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

इस सिलसिले में गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों वन अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली देश भर की 45 सिविल सोसाइटी संस्थाओं ने राज्यसभा को एक ज्ञापन देकर कैम्पा बिल 2016 पर अपना विरोध जताया था. उन्होंने विपक्षी दलों से राज्यसभा में इस बिल का उसके मौजूदा स्वरूप में विरोध करने की अपील की थी. इन संगठनों का कहना था कि कैम्पा बिल के तहत कंपेस्टरी एफॉरेस्टेशन (प्रतिपूरक वनीकरण) कार्यक्रम में ग्रामसभा की सहमति का क्लॉज़ शामिल न कर वन अधिकार अधिनियम 2006 के उस प्रावधान को बेअसर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों एवं पारंपरिक रूप से वन में निवास करने वाले लोगों का वन के ऊपर अधिकार सुनिश्चित किया गया है. कांग्रेस इसी मुद्दे पर बिल का विरोध कर रही थी.

अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इस बिल में ग्राम सभा की अनुमति के क्लॉज़ को शामिल नहीं करने पर क्यों अड़ी हुई थी? दरअसल इसके जवाब के लिए पीछे कुछ घटनाओं पर भी नज़र डालना ज़रूरी है, खास तौर पर एफआरए (2006) के उस प्रावधान पर नज़र डालना ज़रूरी है जिसमें वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं पारंपरिक रूप से वन में निवास करने वाले लोगों का वन के ऊपर अधिकार सुनिश्चित किया गया है. इस क्लॉज़ का इस्तेमाल कर नियामगिरि की ग्राम सभा ने वेदांता को नियामगिरि में बॉक्साइट खनन से रोक दिया था. हालांकि अधिकारियों ने इस क्लॉज़ को नज़रंदाज़ कर इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें से कई पर विभिन्न अदालतों ने रोक लगा रखी है. इसलिए सरकार को लगता है कि यह क्लॉज़ विकास की राह में बाधा बन रही है और इसे खत्म करने के प्रयास किए गए.

चौथी दुनिया ने अपने 20 जून के अंक में एक विस्तृत रिपोर्ट (खनन के लिए खत्म होगी ग्राम सभा की सहमति!) प्रकाशित की थी, जिसमें एनडीए सरकार के दो मंत्रालयों के बीच हुए पत्राचार के हवाले से बताया गया था कि कैसे सरकार एफआरए के अंतर्गत आदिवासियों और वन में निवास करने वाले लोगों के अधिकार को छीनना चाहती है. यह पत्राचार जून 2015 और दिसम्बर 2015 के दरम्यान जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुआ था. इन पत्रों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि वन भूमि को किसी परियोजना के लिए आवंटित करने से पहले एफआरए के तहत उस क्षेत्र के ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है. जबकि पर्यावरण मंत्रालय इस ग्राम सभा की सहमति के क्लॉज़ हटाने की बात कर रहा था. एफआरए की सहमति वाले क्लॉज़ को लेकर इन दो मंत्रालयों के बीच रस्साकशी के दौरान केंद्र सरकार ने कैम्पा बिल पेश किया था और उस बिल में ग्राम सभा की सहमति का क्लॉज़ शामिल नहीं था. इसलिए उक्त पत्राचार की पृष्ठभूमि में सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है.

बहरहाल वनों की अंधाधुंध कटाई और औद्योगीकरण की वजह से जलवायु में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कमज़ोर वन क्षेत्रों को घना बनाने, कटे हुए वन की बराबर की भूमि पर पुन: वन लगाने और विस्थापित हुए जंगली जानवरों का पुनर्वास वक़्त की ज़रूरत है. लेकिन बुलुबरू गांव में सागवान के प्लांटेशन, पूर्व में सरकार के दो मंत्रालयों के बीच एफआरए से ग्राम सभा की सहमति का क्लॉज़ हटाने के संबंध में हुए पत्राचार के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि कैम्पा बिल वन अधिकारियों को अपनी मनमानी करने का पूरा अधिकार दे देगा और कैम्पा के जरिए एफआरए द्वारा दिए गए इस अधिकार को क्षीण कर दिया जाएगा. इसके साथ ही बुलुबरू की कहानी बार-बार दोहराई जाएगी. कैम्पा बिल पारित होने के क्रम में यदि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रोल को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजनीति से इतर जल-जंगल-ज़मीन के संघर्ष में वह भी सत्ता पक्ष की तरह उद्योगपतियों के साथ है.■

feedback@chauthiduniya.com

मुफ्त हुए बदनाम 'न माया मिली ना राम'

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेन्द्र साव से 24 बार फोन पर बात की थी और यह कहा था कि अभी रघुवर दास की सरकार साढ़े तीन वर्ष है. इस दौरान आप पर जो केस हैं, वह तो उठा ही लिए जाएंगे, आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे. इसके साथ ही अनुराग गुप्ता ने यह धमकी भी दी कि अगर बात नहीं मानेंगे, तो आपको बहुत परेशानी होगी. अनुराग गुप्ता ने विधायक के पति को यह भी सलाह दी कि मैडम के नाम पर वारंट है, उन्हें गिरफ्तार करा दीजिए, ऐसे में मैडम वोट देने से भी बच जाएंगी और कांग्रेस भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी.

प्रशान्त शरण

राज्यसभा चुनाव में 'हॉर्स ट्रेडिंग' के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा कांग्रेस विधायक निर्मला देवी एवं राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के बीच बातचीत का सीडी जारी होते ही पुलिस अधिकारी आरोपों के घेरे में घिर गये हैं. राजनीति के गलियारों में यह चर्चा है कि उक्त अधिकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास के स्वजातीय हैं और पुलिस मुखिया बनने की चाहत में उन्होंने ऐसा किया होगा. उक्त अधिकारी ने कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को चार बार फोन कर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाया. कांग्रेस विधायक को उन्होंने इस बातचीत में धमकी के साथ-साथ प्रलोभन भी दिया. वैसे अनुराग गुप्ता की छवि एक कर्मठ एवं ईमानदार अधिकारी के रूप में रही है. आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने तीन दिनों तक झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ ही राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की है. इस मामले में लगे आरोपों का न तो राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास और न ही अनुराग गुप्ता ने कोई खंडन किया है. दोनों इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेन्द्र साव को फोन कर 24 बार बात की थी और यह कहा था कि अभी रघुवर दास की सरकार साढ़े तीन वर्ष है. इस दौरान आप पर जो केस है, वह तो उठ ही जायेगा, आपको बहुत ऊपर तक ले जायेंगे. इसके साथ ही अनुराग गुप्ता ने यह धमकी भी दी कि अगर बात नहीं मानेंगे, तो आपको बहुत परेशानी होगी. अनुराग गुप्ता ने विधायक के पति को यह भी सलाह दी कि मैडम के नाम पर वारंट है, उन्हें गिरफ्तार करा दीजिए, ऐसे में मैडम वोट देने से भी बच जायेंगी और कांग्रेस भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पायेगी.

योगेन्द्र साव ने भी यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधिकारी ने फोन कर उन पर दबाव बनाया था और वोट न डालने की बात कही थी. गुप्ता ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से उनकी सीधी बातचीत करा दी जायेगी, इससे राजनीतिक लाभ मिलेगा और आप बहुत ऊपर तक जायेंगे, अन्यथा अगर आप बात नहीं माने तो परेशानी में पड़ जायेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि आपकी हर बात मुख्यमंत्री से मनवा देंगे. योगेन्द्र साव ने जब अनुराग गुप्ता से यह कहा कि आपके घर आ जाते हैं, तो गुप्ता ने कहा कि आपका मेरे घर आना ठीक नहीं होगा, पर उन्होंने यह जरूर कहा कि आप आश्वस्त रहें, एक क्या सारा मामला साफ करवा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी.

सूत्रों के अनुसार एडीजीपी ये सारी बात अपने मोबाइल से न कर अपने सहयोगी के मोबाइल से योगेन्द्र साव के करीबी मंटू साव के मोबाइल पर करते थे. इस बातचीत की डिटेल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जारी की है, पर भारतीय जनता पार्टी इसे सिरे से खारिज कर रही है. पार्टी का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत यह सीडी बनाई गई है, समय आने पर सब कुछ साफ हो जायेगा.

इस मामले में राज्य के पुलिस अपर महानिदेशक अनुराग गुप्ता कुछ भी टिप्पणी करने से इंकार करते हैं. वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, जबकि झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता के साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके राजनीतिक सलाहकार पर भी गंभीर आरोप लगाये हैं. कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी ने ने घर आकर यह प्रलोभन दिया था. वैसे अनुराग गुप्ता की चुप्पी से इस बात को बल मिलता है कि शायद उन्होंने बड़े पद की चाहत में यह गलती कर दी होगी और मुख्यमंत्री के दबाव में कांग्रेस विधायक एवं उसके पति से बात की होगी. वैसे अभी तक उनकी छवि एक ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारी की रही है. वैसे मुख्यमंत्री रघुवर दास का जातीय प्रेम देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने कर्तव्य से फिसल गये हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के आईएएस अधिकारी को दरकिनार कर संजय कुमार को अपना प्रधान सचिव बनाया, जो बिहार कैडर के हैं और स्वजातीय हैं. उनकी प्रतिनियुक्ति दो वर्षों के लिए हुई है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव पद पर आईएएस अधिकारी सुनील बर्णवाल को तैनात किया गया है और शायद इसी सोच के तहत अनुराग गुप्ता को पुलिस मुखिया बनाने की तैयारी की जा रही है.

इधर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री रघुवर दास के इस्तीफे की मांग की है, साथ ही अनुराग गुप्ता को भी बर्खास्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि रघुवर सरकार अधिकारियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है.■

पुलिस अपर महानिदेशक पर दर्ज हो प्राथमिकी : हेमंत

पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रोशित हैं. उन्होंने राज्यपाल एवं मुख्य चुनाव आयुक्त से राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को अविलंब बर्खास्त करने की मांग करते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता पर एसपी, एसटी को धमकाने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने एवं कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को धमकाने के मामले में थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी है. उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गये हैं और अब विधायक तक को धमकी दे रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठायेगी. जब तक सीडी प्रकरण की जांच नहीं हो जाती है, तब तक वे विधानसभा के मानसून सत्र को चलने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो सीडी राज्यपाल एवं चुनाव आयुक्त को सौंपी है, उसमें यह साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह अनुराग गुप्ता कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को राज्यभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रलोभन एवं धमकी दे रहे हैं. अनुराग गुप्ता ने निर्मला देवी को स्पष्ट कहा था कि अगर वे भाजपा के पक्ष में मत देते हैं तो उनके एवं उनके पति के ऊपर लगे आरोप एवं सभी केसों को उठा लिया जाएगा, ऐसा नहीं करने पर वे बुरी तरह से फंसा देने का रौब दिखा रहे हैं. यही कारण था कि पुलिसिया भय के कारण ही कांग्रेस विधायक तीन बजे तक अपना मत देने नहीं आ सकी थीं, बाद में अपनी गाड़ी से कांग्रेस विधायक को विधानसभा लाया गया. उनको विधानसभा आने से रोकने के लिए पुलिस ने चाक-चौबंद व्यवस्था की थी. सोरेन का मानना है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की शह पर अनुराग गुप्ता बेलगाम होते जा रहे हैं, सरकार उन्हें जल्द बर्खास्त करे नहीं, तो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में आंदोलन चलाएगा.■

विधायक को पुलिस अधिकारी ने धमकाया : बाबूलाल

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने जो सीडी पत्रकारों को दिखाई है, वह पूरी तरह से सही है. चाहे तो सरकार या कोई स्वतंत्र एजेंसी इस सीडी की कहीं भी जांच करा ले. उन्होंने राज्य के पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वे रघुवर दास के लिए काम कर रहे हैं, न कि जनता के लिए. मुख्यमंत्री दास ने भी इस पुलिस अधिकारी को उच्च पद पर बैठाने का प्रलोभन दिया है. इस पुलिस अधिकारी ने कांग्रेस विधायक को आधा दर्जन बार फोन कर प्रलोभन के साथ ही धमकी भी दी. पुलिस अधिकारी एवं कांग्रेस विधायक के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग इस सीडी में है कि किस तरह वे कांग्रेस के समर्थन में मतदान करते हैं तो उनके एवं उनके पति के ऊपर जो केस लंबित हैं, उसे उठा लिया जायेगा. साथ ही मोटी रकम भी मिलेगी. उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई एवं बर्खास्त करने की मांग की है. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त से राज्यसभा चुनाव रद्द करने की मांग भी की गई है. इस सीडी से यह स्पष्ट है कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वयं कांग्रेस विधायक एवं उनके पति से मुलाकात कर पांच करोड़ देने की बात कही थी, जबकि उनके राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार ने भी कांग्रेस विधायक से मुलाकात कर भाजपा को वोट देने के साथ ही बहुत सारे प्रलोभन दिए थे.

उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव रद्द करने, मुख्यमंत्री रघुवर दास के इस्तीफे एवं पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता की बर्खास्ती की मांग को लेकर उनकी पार्टी पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन चलाएगी.■

सीडी प्रकरण की जांच जरूरी नहीं : शहनवाज

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता का बचाव करते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सीडी प्रकरण की जांच हो. उन्होंने सीडी को झूठा एवं फर्जी बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी झूठ-मूठ के जांच में यकीन नहीं करती है. उन्होंने कहा कि सीडी में जो बातचीत दिखाई गई है, उसे सुनने से ही पता चल जाता है कि इसे बनाया गया है. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग से स्पष्ट इंकार किया और कहा कि विधायकों ने किसी भी दबाव में मतदान नहीं किया है.

यह पूछे जाने पर कि दूसरे राज्यों में इसी तरह की सीडी को लेकर भाजपा जांच कराने की मांग करती रही है तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में जांच की जरूरत नहीं होती है और यह सीडी तो पूरी तरह से मनगढंत है, दरअसल मोदी एवं रघुवर सरकार की लोकप्रियता से विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं. इससे कुछ नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वे सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने रघुवर सरकार के कार्यकलापों की सराहना करते हुए कहा कि यहां विकास का काम तेजी से हो रहा है. विधि-व्यवस्था एवं नक्सली समस्या का समाधान इस सरकार ने बेहतर ढंग से किया है.■

जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट

मछुआरों और किसानों की मुसीबत

जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे ज्यादा विरोध साखरी नाटे और माडबन में हो रहा है. साखरी नाटे की 95 फीसद आबादी मुसलमानों की है. अपनी जिंदगी और रोजगार बचाने की खातिर यहां के मुसलमान शिवसेना के साथ खड़े हैं. विधानसभा चुनाव में राजापुर से शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वी को साखरी नाटे, माडबन, निवेली, करेल और मिठगवाणे के मतदाताओं ने एकमुश्त वोट दिया था. इसकी वजह अप्रैल 2011 में जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में घटित वह हिंसक प्रदर्शन था, जिसमें तबरेज की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई. तबरेज की मौत के बाद साखरी नाटे और माडबन कई दिनों तक अशांत रहा. राजन साल्वी समेत 51 प्रदर्शनकारी कई दिनों तक जेल में बंद रहे.

अभिषेक रंजन सिंह

यूं तो रत्नागिरी अपनी अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता, जैव-विविधता, अल्फांसो आम के लिए मशहूर है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से कोंकण का यह खूबसूरत जिला प्रस्तावित जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में जारी जनांदोलन से सुर्खियों में है. रत्नागिरी शहर से जैतापुर की दूरी साठ किलोमीटर है. राजापुर तहसील में जहां न्यूक्लियर प्लांट प्रस्तावित है, वहां जैतापुर गांव की एक इंच जमीन भी नहीं गई है. वहीं साखरी नाटे गांव में भी प्लांट और टाउनशिप के लिए कोई जमीन नहीं ली गई है, लेकिन अणु ऊर्जा प्रकल्प का सर्वाधिक विरोध यहीं हो रहा है.

साखरी नाटे मछुआरों की एक बस्ती है, जहां की कुल आबादी दस हजार है. अरब सागर की खाड़ी में बसे इस गांव के मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, लेकिन प्लांट बनने के बाद उन्हें दस किलोमीटर के दायरे में जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इसका असर यहां के छोटे मछुआरों पर पड़ेगा, क्योंकि छोटी नाव से वे गहरे समुद्र में नहीं जा सकते और बड़ी नाव खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है.

महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति के उपाध्यक्ष अमजद बोरकर प्रस्तावित जैतापुर प्लांट को कोंकण का शाप बताते हैं. बकौल अमजद, साखरी नाटे में मत्स्य उत्पादन का सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक का है. ऐसे में जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट बनने से न सिर्फ मछुआरे, बल्कि हजारों काश्तकारों की जीविका खतरे में पड़ जाएगी. उनके मुताबिक, परमाणु ऊर्जा विभाग की दलील है कि जैतापुर में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है. लेकिन इस बात की गारंटी तो रूस के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे से पहले भी दिए गए थे.

जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रतिदिन 5,200 लीटर गर्म पानी समुद्र में छोड़ा जाएगा. जाहिर है इस पानी में परमाणु कचरे भी मौजूद होंगे, जिसका असर मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवों समेत मानवीय स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा. समुद्री जल के तापमान में अचानक वृद्धि होने से न सिर्फ मछलियों के प्रजनन पर असर होगा, बल्कि संभव है कि पापलेट, सुरमई, सार्डिल और बांगड़ा जैसी स्थानीय स्वादिष्ट मछलियां यहां से पलायन कर जाएं.

इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिसका मुकम्मल जवाब परमाणु ऊर्जा विभाग और सरकार के पास नहीं है. मसलन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) सुरक्षा के मद्देनजर प्लांट एरिया के दस किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करेगा. इसका उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. ऐसे में यहां के मछुआरों की हालत कमोबेश वैसी हो जाएगी, जिस तरह समुद्री सीमा रेखा के उल्लंघन के आरोप में भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान और श्रीलंका की जेलों में बंद रहना पड़ता है.

रत्नागिरी में मछली पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करने वाले फकीर मोहम्मद हमजा कहते हैं, राजापुर तहसील में 30 किलोमीटर अरब सागरीय खाड़ी क्षेत्र है. समुद्र की गहराई कम होने की वजह से साखरी नाटे के मछुआरे छोटी नौकाओं से मछली मारने का काम करते हैं. ऐसे में दस किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित किए जाने से यहां के हजारों मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे. हमजा के मुताबिक, हकीकत में यह तरक्की नहीं, बल्कि कोंकण की बर्बादी का फ्रांस के साथ करार है.

गौरतलब है कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस की विवादास्पद कंपनी अरेवा (अब ईडीएफ) के सहयोग से बनने वाली है. प्रस्तावित 9900 मेगावाट की यह परमाणु परियोजना विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शुमार है. इस प्लांट के लिए राजापुर तहसील के 5 गांवों में 938 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई है. इनमें सर्वाधिक 690 हेक्टेयर जमीन अकेले माडबन गांव की है. इसके अलावा, मिठगवाणे में 102 हेक्टेयर, निवेली में 72.61, करेल में 70.68 और वरलवाड़ा में 1.91 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई है. भूमि अधिग्रहण का सर्वाधिक विरोध माडबन में हो रहा है. हालांकि, इस गांव में करीब नब्बे फीसद लोगों ने जमीन का मुआवजा ले लिया है, मुआवजा नहीं लेने वाले वैसे छोटे किसान हैं, जो किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते.

चार एकड़ जमीन के काश्तकार विजय गवानकर माडबन उन्हीं लोगों में से एक हैं. वर्ष 2013 के बाद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रत्नागिरी जिला प्रशासन ने विजय और माडबन के बाकी किसानों को खेती करने से मना कर दिया. माडबन गांव में विजय समेत करीब डेढ़ सौ किसानों ने कोई मुआवजा नहीं लिया है. विजय बताते हैं, गांव में कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने लालचवश मुआवजा तो ले लिया, लेकिन अब उनके पास न तो पैसे बचे हैं और न ही जमीन. वरलवाड़ा गांव निवासी प्रेमानंद तिबड़कर के पास पांच एकड़ जमीन है. उनका कहना है कि अणु ऊर्जा प्रकल्प बनने से आज नहीं तो कल लोगों को गांव छोड़ना ही पड़ेगा. सरकार लाख दावा करे, लेकिन रेडिएशन के दुष्प्रभाव से कोई कब तक सुरक्षित रहेगा?

मिठगवाणे निवासी मनोज बालकृष्ण लिंगायत की 12 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है. उसे यकीन है कि परमाणु प्रकल्प के खिलाफ जारी आंदोलन का व्यापक असर होगा और एक दिन वह अपनी जमीन पर पहले की तरह खेती कर सकेगा. उसके मुताबिक, जिन बड़े किसानों ने मुआवजा लिया है, उनमें ज्यादातर लोग मुंबई, पुणे या विदेशों में रहते हैं. इसलिए उन्हें अपनी जमीन से भला क्यों मोह होगा! उन्होंने स्थानीय किसानों के हितों की परवाह किए बगैर जमीनें बेच दीं और करोड़ों रुपये का मुआवजा ले लिया. निवेली गांव के किसान संदेश करनगूटकर कहते हैं, न्यूक्लियर प्लांट से स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन फलोत्पादन और मछली व्यवसाय जैसे परंपरागत पेशे पर इसका बुरा असर पड़ेगा. वैसे तो रत्नागिरी जिले में बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इससे अधिक बिजली चाहिए तो जैतापुर में सौर और पवन चक्की जैसे वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र लगाने चाहिए.

जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों को फिलहाल 22.50 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का प्रावधान है, जबकि शुरू में महज 70 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात कही गई थी. वर्ष 2009 में हुए जबरदस्त किसान आंदोलन की वजह से सरकार ने मुआवजा राशि में कई गुना वृद्धि कर दी. राजापुर तहसील के उप विभागीय अधिकारी (एसडीएम) सुशांत खांडेकर ने बताया कि मुआवजा राशि से किसानों को काफी फायदा पहुंचा और शायद यही वजह है कि इलाके में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जारी आंदोलन लगभग थम सा गया है. उनके अनुसार, न्यूक्लियर पावर प्लांट में राजापुर तहसील के पांच गांव क्रमशः माडबन, मिठगवाणे, निवेली, करेल और वरिलवाड़ा में 2,336 किसानों की 938 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई है.

जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए वर्ष 2006 में अधिसूचना जारी हुई थी. साल 2007-08 तक भू-सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ और साल के अंत तक भूमि अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो गया. वर्ष 2010 में अधिकतर जमीनों की सुपुर्दगी के दस्तावेज राज्य सरकार ने भारत परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंप दिए. सरकारी भू-अभिलेखों के मुताबिक, नब्बे फीसद किसानों ने मुआवजा लेकर उक्त जमीनों पर अपना दावा छोड़ दिया है. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने रत्नागिरी में सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा मुआवजा देने का ऐलान कर किसानों को खुश करने का प्रयास किया. तत्कालीन राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले सभी किसान परिवारों के एक व्यस्क सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया था. इसके अलावा, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की ओर से माड़बन, मिठगवाणे, निवेली, करेल और वरिलवाड़ा गांवों के विकास के लिए दो-दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी. प्लांट के तहत आने वाले हर ग्राम पंचायत को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सालाना 25 लाख रुपये (हर तीन साल में 10 फीसद इजाफे के साथ) देने की बात कही गई थी. लेकिन इन गांवों की तरक्की के नाम पर न तो एक रुपया खर्च हुआ और न ही ग्रामीणों की जिंदगी में कोई बदलाव दिख रहा है.

यहां एक बड़ा मामला विवादित जमीनों के अधिग्रहण का भी है. जिला प्रशासन न्यायिक आदेश की प्रतीक्षा किए बगैर उन जमीनों का भी अधिग्रहण कर रही है, जिन पर दो पक्षकारों या उससे अधिक लोगों के बीच वर्षों से मुकदमा चल रहा है. ऐसे सैकड़ों मामले जिला एवं सत्र न्यायालय, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. इस मुद्दे पर एसडीएम खांडेकर कहते हैं, राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत तकरारी जमीनों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है. न्यायालय का अंतिम फैसला जिन पक्षकारों के हक में सुनाया जाएगा, उन्हें मौजूदा दर से उचित मुआवजा दिया जाएगा. स्थानीय किसानों के अनुसार, मुकदमे का फैसला कब आएगा पता नहीं, फैसले के बाद असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील करने को स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह के नियम बनाकर सरकार ने किसानों को दोहरी मुसीबत में डाल दिया है. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग संसदीय क्षेत्र से शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा कि जैतापुर भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है, क्योंकि यह इलाका जोन चार में स्थित है. यह जानते हुए भी केंद्र और राज्य सरकारें कोंकण को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं. उन्होंने अरेवा कंपनी (अब ईडीएफ) पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन देशों में इस कंपनी ने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हैं, उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं. इतना ही नहीं, भविष्य में होने वाले परमाणु हादसे पर न तो कोई बीमा राशि का प्रावधान है और न ही क्षतिपूर्ति की कोई शर्त. ऐसे में लाजिमी है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कंपनी की तरह अरेवा भी मानवीय त्रासदी पैदा कर फरार हो जाएगी.

जिला परिषद सदस्य अजीत जयवंत नारकर का कहना है, भारत जैसे देश में जहां सड़कों की सफाई नियमित ढंग से नहीं हो पाती, वहां परमाणु कचरे की सफाई और उससे सुरक्षा की बात करना बेमानी है. परमाणु कचरा सैकड़ों साल बाद भी नष्ट नहीं होते, इसके बावजूद केंद्र सरकार भारत को परमाणु कचरे के ढेर पर बिठाना चाहती है. राजापुर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना विधायक राजन साल्वी का कहना है कि उनकी पार्टी जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट का विरोध वर्ष 2000 से कर रही है. शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ थी, लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद भाजपा इस मुद्दे पर खामोश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, जिस समय यहां की जनता जैतापुर अणु प्रकल्प के विरोध में नारे लगा रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ न्यूक्लियर रिएक्टरों की सौदेबाजी कर रहे थे. बकौल साल्वी शिवसेना किसी भी कीमत पर प्लांट नहीं लगने देगी.

न्यूक्लियर प्लांट और कोंकण की राजनीति : कोंकण क्षेत्र शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा है. कोंकण रीजन में रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिले आते हैं. यहां की करीब साठ फीसद विधानसभा सीटों पर शिवसेना का कब्जा है. हालांकि, रत्नागिरी की राजनीति में एक समय समाजवादी नेता मधु दंडवते का खास असर था.

जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे ज्यादा विरोध साखरी नाटे और माडबन में हो रहा है. साखरी नाटे की 95 फीसद आबादी मुसलमानों की है. अपनी जिंदगी और रोजगार बचाने की खातिर यहां के मुसलमान शिवसेना के साथ खड़े हैं. विधानसभा चुनाव में राजापुर से शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वी को साखरी नाटे, माड़बन, निवेली, करेल और मिठगवाणे के मतदाताओं ने एकमुश्त वोट दिया था. इसकी वजह अप्रैल 2011 में जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में घटित वह हिंसक प्रदर्शन था, जिसमें तबरेज की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई. तबरेज की मौत के बाद साखरी नाटे और माडबन कई दिनों तक अशांत रहा. राजन साल्वी समेत 51 प्रदर्शनकारी कई दिनों तक जेल में बंद रहे.

कभी शिवसेना के कद्दावर नेता रहे नारायण राणे जब साल 2006 में कांग्रेस में शामिल हुए तो कोंकण की राजनीति में सरगर्मी पैदा हो गई. यहां चर्चा है कि नारायण राणे जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के पक्षधर रहे हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि नारायण राणे को काफी पहले यह पता था कि जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है. लिहाजा मूलतः सिंधुदुर्ग निवासी राणे ने बिना वक्त गंवाए राजापुर तहसील के उन गांवों में जमीन खरीदी, जो प्लांट एरिया में शामिल होने वाला था. उनकी मंशा थी कि किसी तरह उनकी जमीन भी अधिग्रहीत हो जाए, ताकि उन्हें अरबों रुपये का मुआवजा मिल सके.

शिवसेना बेशक जैतापुर प्लांट का विरोध कर रही है, जबकि रत्नागिरी और चिपलूण में कैमिकल फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाने के सवाल पर वह मौन साध लेती है. रत्नागिरी जिले में करीब दो लाख मछुआरे हैं. जिले में सालाना 500 करोड़ रुपये का मछली व्यवसाय होता है. इन कैमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायनों से समुद्रीय जल प्रदूषित हो रहा है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि मछुआरों और किसानों की लड़ाई लड़ने वाली शिवसेना कैमिकल फैक्ट्रियों का विरोध क्यों नहीं करती?

साखरी नाटे के मछुआरों की एक चिंता प्रस्तावित मुसाकाजी बंदरगाह को लेकर भी है. जन हक सेवा समिति से जुड़े मंसूर भाई के मुताबिक, मुसाकाजी बंदरगाह बनाने की एकमात्र वजह है, फ्रांस से न्यूक्लियर रिएक्टरों की ढुलाई करना. अकरम सोलकर के अनुसार, जिस तरह प्लांट एरिया में मछुआरों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, उसी तरह सुरक्षा के नाम पर मुसाकाजी बंदरगाह के आस-पास का क्षेत्र भी मछुआरों के लिए प्रतिबंधित होगा. बहरहाल, कोंकण इलाके में लाखों लोगों की सुरक्षा, रोजगार एवं जैव-विविधता को खतरे में डालकर केंद्र व राज्य सरकार 9900 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहती है. यह जानते हुए कि ज्यादातर विकसित देश न्यूक्लियर एनर्जी को ना कह रहे हैं और वैकल्पिक ऊर्जा के नए विकल्प की तलाश में हैं.■

माडबनः किसान विजय गवानकर (बीच में) ने मुआवज़ा लेने से इनकार किया

निवेलीः न्यूक्लियर एनर्जी के ख़िलाफ एक इश्तेहार

अमजद बोरकर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति

जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों को फिलहाल 22.50 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का प्रावधान है, जबकि शुरू में महज 70 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात कही गई थी. वर्ष 2009 में हुए जबरदस्त किसान आंदोलन की वजह से सरकार ने मुआवजा राशि में कई गुना वृद्धि कर दी.

प्रस्तावित न्यूक्लियर प्लांट से अरब सागर में प्रतिदिन 5200 लीटर गर्म पानी बहाया जाएगा

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आर्टिकल 370 को और मज़बूत बनाया जाना चाहिए

कश्मीर एक संक्रामक समस्या बन चुका है. कश्मीर में आम धारणा यह है कि नई दिल्ली, कश्मीर के साथ एक कॉलोनी की तरह व्यवहार करता है. ऐसा एहसास किसी को पसंद नहीं आता है. नई दिल्ली को कश्मीरियों को यह एहसास कराना चाहिए कि वे इस लोकतंत्र में बराबर के भागीदार हैं. बेशक पाकिस्तान की संलिप्तता और आतंकवाद की वजह से वहां सेना की मौजूदगी है. लेकिन जैसा किसी भी सेना के साथ होता है, लंबे समय तक उसकी मौजूदगी हालात को एक वृहत स्वरूप दे देती है और अफस्पा इस दुखती रग पर हाथ रखने जैसा हो जाता है. कश्मीर के मसले को काफ़ी चतुराई और कूटनीतिक ढंग से निपटाए जाने की ज़रूरत है.

आख़िरकार, जीएसटी बिल पास हो गया. पिछले दो वर्षों में भाजपा ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था, मानो देश का विकास जीएसटी पर ही निर्भर हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था. जीएसटी कराधान का एक प्रारूप है, जिसे यूरोप के कई देशों ने काफ़ी पहले से अपनाया हुआ है. अमेरिका ने जीएसटी को नहीं अपनाया है. भारत में यह होना चाहिए या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. भारत में इसे लागू करने की प्रक्रिया काफ़ी पहले से चल रही थी. यूपीए सरकार के दौरान गुजरात अकेला ऐसा राज्य था, जिसने जीएसटी का विरोध किया था. यह आश्चर्यजनक है कि उसी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और वही इसे लागू करने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर दिख रहे थे.

मुद्दा यह है कि जिस किसी भी देश ने जीएसटी को अपनाया, वहां इस प्रारूप को सही ढंग से लागू करने में 5 से 7 साल तक का समय लग गया. क्योंकि यदि आप किसी भी राज्य का बिना नुक़सान किए इसे लागू करना चाहते हैं, तो आज आपको जीएसटी को 27 फीसदी रखना होगा. इससे महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी जिसे सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा. आदर्श रूप से जीएसटी 12 या 12.5 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए. यह सब काम समय लेता है. मैं ख़ुश हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अब तार्किक होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. कांग्रेस 18 फीसदी की सीलिंग चाहती थी, जो तार्किक है. 18 फीसदी से अधिक का जीएसटी बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन वे इसे संविधान में चाहते थे. यह सही नहीं है. भाजपा ने महसूस किया कि आप कराधान के आंकड़ों को संविधान में तय नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए. यह एक प्रयोग है, सभी लोगों को इसे देखना चाहिए, सभी लोगों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए. पेट्रोलियम और अल्कोहल को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि कम से कम पेट्रोलियम को इसके भीतर लाना चाहिए, अन्यथा 40 फीसदी का स्कोप इस दायरे से बाहर हो जाएगा, जो सही नहीं है.

अब बात कश्मीर गतिरोध की करते हैं. कश्मीर एक संक्रामक समस्या बन चुका है. कश्मीर में आम धारणा यह है कि नई दिल्ली, कश्मीर के साथ एक कॉलोनी की तरह व्यवहार करता है. ऐसा एहसास किसी को पसंद नहीं आता है. नई दिल्ली को कश्मीरियों को यह एहसास कराना चाहिए कि वे इस लोकतंत्र में बराबर के भागीदार हैं. बेशक पाकिस्तान की संलिप्तता और आतंकवाद की वजह से वहां सेना की मौजूदगी है. लेकिन

आर्टिकल 370 और जितने भी वादे भारत ने कश्मीर से किए हैं, उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए. हालांकि ये आरएसएस और भाजपा की नीतियों के खिलाफ है. वे चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन समाधान इसके ठीक उलट है. आर्टिकल 370 को और मज़बूत बनाया जाना चाहिए. कश्मीरी अवाम से अलगाव की भावना ख़त्म कर लोकतांत्रिक भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि वहां महबूबा मुफ्ती सत्ता में हैं या उमर अब्दुल्ला सत्ता में हैं या फिर कल गिलानी सत्ता में हों. कोशिश ये की जानी चाहिए कि कश्मीरी लोगों का दिल जीता जा सके.

जैसा किसी भी सेना के साथ होता है, लंबे समय तक उसकी मौजूदगी हालात को एक वृहत स्वरूप दे देती है और अफस्पा इस दुखती रग पर हाथ रखने जैसा हो जाता है. कश्मीर के मसले को काफ़ी चतुराई और कूटनीतिक ढंग से निपटाए जाने की ज़रूरत है.

महबूबा मुफ्ती जो कर सकती हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं. बेशक, भाजपा और पीडीपी गठबंधन ने महबूबा की साख को कम किया है. कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदू पार्टी की तरह देखा जाता है. यहां तक कि कश्मीर के लिए कोई दूसरी गैर कश्मीरी पार्टी भी ठीक नहीं है, लेकिन एक हिंदू पार्टी को लेकर वे समझते हैं कि इस पार्टी के साथ उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं है.

मैं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए क्रेडिट दूंगा कि वे कश्मीरियों का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देर से किया गया एक छोटा प्रयास है. कश्मीर को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए जाने की ज़रूरत है जो आमूल-चूल परिवर्तन ला सके, सुधार ला सके .

आर्टिकल 370 और जितने भी वादे भारत ने कश्मीर से किए हैं, उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए. हालांकि ये आरएसएस और भाजपा की नीतियों के खिलाफ है. वे चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन समाधान इसके ठीक उलट है. आर्टिकल 370 को और मज़बूत बनाया जाना चाहिए. कश्मीरी अवाम से अलगाव की भावना ख़त्म कर लोकतांत्रिक भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि वहां महबूबा मुफ्ती सत्ता में हैं या उमर अब्दुल्ला सत्ता में हैं या फिर कल गिलानी सत्ता में हों. कोशिश ये की जानी चाहिए कि कश्मीरी लोगों का दिल जीता जा सके.

तीसरा महत्वपूर्ण विषय ओड़ीशा से जुड़ा हुआ है. 2016 बीजू पटनायक का जन्म शताब्दी वर्ष है. बीजू पटनायक की पहचान सिर्फ ओड़ीशा तक सीमित नहीं थी. वे अपने दौर के एक क़द्दावर नेता थे. सबसे पहली बात ये कि वे एक पायलट थे. 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति थी. जब श्रीनगर में भारतीय वायु सेना का कोई पायलट लैंड करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस वक्त बीजू पटनायक ने जय प्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली को लेकर अपना प्लेन श्रीनगर में उतारा. यह बताता है कि वे कितने बहादुर थे. विश्व युद्ध में बर्मा की सरकार ने उन्हें बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था. एक पायलट की हैसियत से उनकी उपलब्धियां क़ाबिले तारीफ़ हैं. इसके बाद वो राजनीति में आए. लेकिन इससे पहले उन्होंने कलिंगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत की थी. उन्होंने ओड़ीशा के लोगों में हमेशा विश्वास भरने का काम किया. आज उनके पुत्र नवीन पटनायक ओड़ीशा की कमान संभाले हुए हैं और ओड़ीशा को आगे ले जा रहे हैं. नवीन पटनायक का अभी चौथा कार्यकाल चल रहा है. एक ऐसा व्यक्ति जो ओड़िया भाषा नहीं जानता है और जो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता था, उसे लोगों ने बीजू पटनायक की वजह से खुले दिल से स्वीकार किया. बीजू पटनायक के योगदान की समीक्षा करना बहुत मुश्किल है. वे एक छोटे वक्त के लिए मुख्यमंत्री बने. मोरारजी देसाई और वीपी सिंह सरकार में वे दो बार केंद्रीय मंत्री बने. बीजू पटनायक एक क़द्दावर व्यक्तित्व के मालिक थे. वे ओड़ीशा जैसे पिछड़े राज्य को मुख्यधारा में लाना चाहते थे, लेकिन वे यह काम अपने जीवनकाल में नहीं कर सके. मैं समझता हूं कि अगर नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल ओड़ीशा को देश के दूसरे राज्यों की जीडीपी स्तर के बराबर ला देती है, तो इसका श्रेय बीजू पटनायक को भी जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

अल्पसंख्यकों के साथ धोखा

कवर स्टोरी-अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, मुसलमानों का मजाक क्यों (01 अगस्त- 07 अगस्त 2016) शीर्षक लेख में प्रभात रंजन दीन ने अखिलेश यादव द्वारा मुसलमानों से किए गए वादों को लागू न किए जाने और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किए जाने की चर्चा की है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने अपने चार साल के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है. सरकार केवल फर्जी बयानों, झूठे विज्ञापनों और खोखले प्रलोभनों से मुसलमानों को बहलाती रही. सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन की सिफारशों को लागू करने की बात करने वाली समाजवादी पार्टी सत्ता संभालने के बाद खुद मुसलमानों के कल्याण के बारे में भूल गई. 2017 के विधानसभा चुनाव को देखकर समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की याद आई है. मुसलमान राजनीतिक पार्टियों के लिए केवल वोटबैंक बन रह गए हैं. यह सच्चाई है कि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के पहले जनता के कल्याण की चिंता होती है और उनकी कल्याण के लिए कई वादे भी करते हैं. लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो सारे वादे नेता और राजनीतिक पार्टियां भूल जाती हैं.

-हितेश त्यागी, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

भरोसा कायम करना होगा

कमल मोरारका ने अपने आलेख-कश्मीरियों की सरकार दिल्ली से नहीं चलनी चाहिए (01 अगस्त- 07 अगस्त 2016) में कहा है कि जब कश्मीरियों ने 1983 में फ़ारूक़ अब्दुल्ला को अपना नेता चुना, तो केंद्र ने पिछले दरवाजे से उस सरकार को अस्थिर कर दिया. कश्मीरियों को संदेश दिया गया कि जब तक दिल्ली की पसंद की सरकार नहीं होगी, तब तक वहां शासन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आज कश्मीरियों में यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकार के मन में उनके लिए प्यार है, उनकी चिंता है और वह उनके भविष्य के बारे में सोचती है. वहां के युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचती है. सरकार को वहां के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए.

-अभिजीत पांडा, *तुगलकाबाद, दिल्ली.*

किसके सिर पर होगा ताज

आलेख-मिशन यूपी में जुटे बिहारी योद्धा(01 अगस्त- 07 अगस्त 2016) पढ़ा. जानकारीपरक है. सरोज सिंह ने सही कहा कि महागठबंधन के तीनों दल-जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस-की तीन दिशाएं तय मानी जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस पहले से ही अकले मैदान में है. जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने अकेले यूपी में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है. भाजपा और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने जोरदार हल्ला बोला है. नीतीश कुमार को शराबबंदी के मुद्दे पर यूपी में भी काफी समर्थन मिल रहा है. यह बात सही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. सभी राजनीतिक दलों और उसके नेताओं ने यूपी में जोर-आजमाइश शुरू कर दी है. आने वाला समय ही बताएगा कि प्रदेश की सत्ता की बागडोर जनता किसके हाथों में सौंपती है.

-आशीष सिंह, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

दलितों को न्याय मिले

आलेख-दलितों के साथ यह बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है (01 अगस्त- 07 अगस्त 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. कमल मोरारका ने सही कहा है कि भाजपा का सत्ता में होना और आम तौर पर सवर्णों की पार्टी माना जाना-इस समस्या को और बढ़ा देता है. इस समय देश में दलितों के साथ जो भी हो रहा है, वह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है. गुजरात के ऊना में गौरक्षकों द्वारा दलितों की पिटाई का मामला हो या बिहार में बाइक चोरी के आरोप में दलितों की पिटाई का मामला. गुजरात में दलितों ने पिटाई के खिलाफ आंदोलन भी किया और ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गर्म रहा. मध्य प्रदेश में भी दलितों और बीफ के शक में दो महिलाओं की पिटाई का मामला सामने आया था. सरकार को इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा.

-कमला प्रसाद, *सासाराम, बिहार.*

देश के लिए अंधराष्ट्रवाद घातक है

जब तोप मुकाबिल हो-अंधराष्ट्रवाद से बढ़ रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा(01 अगस्त- 07 अगस्त 2016) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने बिलकुल सही कहा है कि हर चीज़ छद्म राष्ट्रवाद से जोड़ी जा रही है और देश के लोगों में हिंदू-मुसलमान के बीच बंटवारा करने, नफ़रत फैलाने का सशक्त प्रयास किया जा रहा है. यह कार्य कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से किया जा रहा है. अगर कोई देश की समस्या को लेकर, चाहे कश्मीर मुद्दा हो या किसी अन्य ज्वलंत मुद्दे पर आप अपनी बात रखते हैं, तो उसे सोशल साइट्स पर लोग देशद्रोही साबित करने की कोशिश में जुट जाते हैं, जो गलत है. क्या अब देश में ऐसा हो गया कि किसी मुद्दे पर स्वस्थ तरीके से कोई अपनी राय नहीं रख सकता? हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि यहां सबको अपनी राय रखने की इजाजत है.

भोलानाथ यादव, *दानापुर, बिहार.*

किसानों की कोई सुनने वाला नहीं

पिछले दिनों किसानों को लेकर, उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने को लेकर, केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए की गई घोषणाओं को लेकर तमाम समाचार, रिपोर्ट्स और आलेख पढ़ने को मिल रहे थे. राजनीतिक दल और उनके नेता भी इस मामले पर खूब शोर मचा रहे थे. लेकिन दुख की बात है कि मानसून सत्र के दौरान संसद में कोई भी राजनीतिक दल या किसी नेता ने किसानों की मौत का मामला नहीं उठाया. सांसदों के लिए किसान केवल एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं. किसानों के नाम पर केवल राजनीतिक नौटंकी होती है. राजनेता केवल दिखावे के लिए किसानों के हित की बात करते हैं. हर साल हजारों किसान मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन संसद में उनकी मौत पर एक दिन मौन रखने की बात तो दूर उनकी कोई बात करने वाला नहीं है. अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर संसद प्रतिदिन ठप की जाती है. लेकिन शर्म की बात है कि किसानों के मुद्दे और उनकी मौत पर कभी संसद में चर्चा ही नहीं होती.■

-नितेश भारद्वाज, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, सांसदों की इस ख़ामोशी को समझिए

संसद का मानूसन सत्र कई जानकारियां दे गया. सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक गहरा सन्नाटा छाया है. इतना गहरा सन्नाटा कि राजनीति के जानकारों को अब बेचैनी होने लगी है. संसद के सत्र में जितने भाजपा सांसदों से बातचीत हुई, वे सभी ख़ामोश दिखे. जिन मंत्रियों से मुलाकात हुई, वे भी ख़ामोश दिखे. इस ख़ामोशी की वजह जानने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के गैर संसदीय नेताओं से बातचीत हुई, तो वे भी ख़ामोश और एक अजीब विद्रूप भरी मुस्कराहट फेंकते दिखे.

इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. पिछले दिनों संसदीय दल की मीटिंग में सांसद ख़ामोश बैठे रहे. सिर्फ दो-तीन लोगों ने अपनी बात रखी और फिर मीटिंग समाप्त हो गई. आमतौर पर संसदीय दल की बैठक में सरकार किए हुए कामों के बारे में, नई योजनाओं के बारे में सांसदों से बातचीत करती है और सांसदों को अपनी राय देती है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग इन सारी परंपराओं से अलग होती दिख रही है. अब तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, कभी पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, उसी पार्टी में आज आंतरिक लोकतंत्र पर सवालिया निशान लग चुका है.

मंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं. इतना ही नहीं, मंत्री अपने सचिवों से भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि सचिव अगर कुछ इशारा कर दे तो मंत्री न उसे आदेश देने की स्थिति में हैं और न उसे सलाह देने की स्थिति में. लगभग पूरा मंत्रिमंडल इसी मनोवैज्ञानिक आशंका का शिकार है. पुख्ता सूत्रों के अनुसार, सिर्फ अरुण जेटली, नितिन गडकरी और तोमर ये तीन ऐसे मंत्री हैं जो अपने मन से काम कर रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं. बाकी सारे मंत्री नियमित कार्यों के अलावा कोई नया काम कर रहे हों, इसकी जानकारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को नहीं है.

सांसद परेशान हैं कि वे अपने क्षेत्र में जाकर कहें तो क्या कहें? जबकि पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री उनसे कह रहे हैं कि क्षेत्र में जाइए, साइकिल चलाइए और लोगों को सरकार द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में बताइए. सरकार के तीस से चालीस किए हुए कामों की सूची प्रचारित हो रही है, पर जब सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो उन्हें उनमें से किसी भी काम का चिन्ह नहीं मिलता है. वे जनता का सामना करने में हिचकते हैं. वे क्षेत्र में जाते भी हैं तो सिर्फ अपने समर्थकों के बीच रहते हैं. वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते. इसलिए नहीं कि वे रहना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे वहां जाएं तो जनता से कहें क्या? वहीं, जनता की अपेक्षाएं अपने सांसदों और नरेंद्र मोदी से बनी हुई हैं. जनता उनसे सवालों का हल चाहती है, चाहे वे व्यक्तिगत सवाल हों या क्षेत्र के सवाल हों. सांसद इस स्थिति में नहीं हैं कि वे उन सवालों का जवाब अपने क्षेत्र की जनता को दे सकें इसलिए वे जनता के बीच जाने से हिचकते हैं.

> बनारस में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को अब भी विकास की उम्मीद है, लेकिन आम बनारस के लोगों में निराशा शुरू हो चुकी है. स्वच्छ भारत अभियान वहीं का वहीं खड़ा है. जिन संस्थाओं पर स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी है, वे काम की बजाय प्रचार में ज्यादा व्यस्त हैं. सफाई कैसे हो और कूड़े का निस्तारण कैसे हो, इसके बारे में उन्हें कोई चिन्ता नहीं है. गंगा मुक्ति अभियान और सफाई को लेकर भी भाजपा के सांसद बहुत चिंतित हैं. उन्हें लगता है कि गंगा मंत्री उमा भारती का 2018 में गंगा साफ करने की घोषणा वाला बयान उन्हें अगले चुनाव में काफी सवालों के घेरे में डाल देगा. कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का कहना है कि वे अगले तीन साल का काम दो साल में पूरा कर चुके हैं. उनके पास आंकड़े भी हैं. वे बताते हैं कि इसका असर दो-तीन साल में दिखेगा, लेकिन तमाम सरकारी दावों के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं.

दो वर्षों में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं के अमल पर जोर भी दिया. उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा आदर्श ग्राम की थी. किसी को नहीं पता कि किस संसद सदस्य ने आदर्श ग्राम गोद लिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने आदर्श ग्राम ले लिए हैं या नहीं लिए हैं? और अगर लिए भी हैं तो वहां काम क्या किया है? जब लोग मंत्रियों द्वारा गोद लिए आदर्श ग्राम में जाते हैं, तो उन्हें वहां बहुत अच्छी हालत नहीं मिलती. स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गांव में सब कुछ ठीक नहीं है. अगर सांसद दो साल के भीतर एक गांव का विकास नमूने के रूप में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस देश का विकास ये सरकार कैसे कर पाएगी, ये लोगों की समझ में नहीं आता है.

अब बनारस की बात ही लीजिए. हाल में बनारस को क्योटो बनाने की काफी चर्चा हुई. बनारस को क्योटो में बदलने के लिए एक भारी-भरकम टीम जापान भेजी गई. टीम वहां दस से पंद्रह दिन रुकी, अध्ययन किया और वापस लौटकर आ गई. शायद छह से आठ महीने के भीतर उन सारे लोगों के तबादले दूसरी जगह भी हो गए, लेकिन बनारस वहीं का वहीं है. बनारस में अब उनमें से कोई नहीं बचा है, जो बनारस को क्योटो में बदलने की कोशिश कर सके. क्या प्रधानमंत्री और उनके सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को ये पता है कि बनारस का रिंग रोड, जिसपर बहुत हद तक बनारस का विकास निर्भर करता है, आठ महीने से बंद पड़ा है. प्रधानमंत्री का अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ज़रूर ध्यान होगा, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, यह भी सत्य है. इसलिए बनारस में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को अब भी विकास की उम्मीद है, लेकिन आम बनारस के लोगों में निराशा शुरू हो चुकी है. स्वच्छ भारत अभियान वहीं का वहीं खड़ा है. जिन संस्थाओं पर स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने की ज़िम्मेदारी है, वे काम की बजाय प्रचार में ज्यादा व्यस्त हैं. सफाई कैसे हो और कूड़े का निस्तारण कैसे हो, इसके बारे में उन्हें कोई चिन्ता नहीं है. गंगा मुक्ति अभियान और सफाई को लेकर भी भाजपा के सांसद बहुत चिंतित हैं. उन्हें लगता है कि गंगा मंत्री उमा भारती का 2018 में गंगा साफ करने की घोषणा वाला बयान उन्हें अगले चुनाव में काफी सवालों के घेरे में डाल देगा. कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का कहना है कि वे अगले तीन साल का काम दो साल में पूरा कर चुके हैं. उनके पास आंकड़े भी हैं. वे बताते हैं कि इसका असर दो-तीन साल में दिखेगा, लेकिन तमाम सरकारी दावों के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं. वहीं मोदी सरकार, राज्य सरकारों से बात कर ज़िलाधिकारियों को आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करती नहीं दिख रही है.

ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी व उनके सांसदों के बीच फैली ये ख़ामोशी, पार्टी में एक साल के भीतर आने वाले तूफान के संकेतों में बदल सकता है. भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद कांग्रेस से अलग प्रशासन चलता हुआ देखना चाहता है. भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद कांग्रेस के राज्य से अलग अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है. वह सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर को ख़ामोशी से टुकुर-टुकुर देख रहा है. क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस ख़ामोशी के भीतर छुपी चीख़ को सुन पाएंगे? ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कश्मीर मुद्दा : रेफ़रेन्डम का मतलब आज़ादी नहीं है

कहते हैं जब कोई पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है. संसद में पीछे बैठने वाले सदस्यों को अपने मन की बात कहने की बहुत कम आज़ादी होती है. इसके बावजूद पी चिदंबरम ने साहस दिखाते हुए कश्मीर मुद्दे पर वो बात कही, जिसे अब कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है. चिदंबरम किसी भी राजनीतिक दल के पहली पंक्ति के पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) ने कश्मीरियों से जो वादा किया था, उससे मुकर गया है. गुलाम नबी आजाद ने फ़ौरन उनकी बात को रद्द कर दिया क्योंकि यह कांग्रेस की नीति नहीं है. इससे ज़ाहिर होता है कि वे एक ऐसा सच बोल रहे थे, जो खुद उनकी पार्टी को ही स्वीकार्य नहीं है.

आज़ादी के बाद देशी रियासतों को दो तरह से भारतीय संघ में शामिल किया गया था. पहला परिग्रहण (एक्सेशन) से और दूसरा एकीकरण (इंटीग्रेशन) से. जूनागढ़ और हैदराबाद का एकीकरण आम वोट से हुआ. कश्मीर में भी इसी तरह की वोटिंग का वादा किया गया था, लेकिन कभी युद्ध और कभी संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में हुए युद्ध विराम की वजह से यह वोटिंग कभी नहीं हो पाई. चूंकि कश्मीर के दोनों हिस्से कभी एक नहीं हो सके इसलिए किसी तरह का जनमत संग्रह असंभव हो गया. शेख अब्दुल्ला को 11 वर्षों तक बिना मुकदमा चलाये उनके घर में सिर्फ इसलिए नज़रबंद रखा गया क्योंकि वे जनमत संग्रह की वकालत कर रहे थे.

उसके बाद चुनावों में जमकर धांधलियां हुईं और ऐसे नेतृत्व की तलाश की गई, जो वहां दिल्ली की भाषा बोले. आम सहमति के मुद्दे को पूरी तरह से भुला दिया गया. हालांकि धारा 370 संविधान में तो बना रहा, लेकिन स्वायत्तता की जो व्याख्या इस धारा में की गई थी राज्य ने उसे खो दिया. यह एक मूलमंत्र बन गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सेकुलरिज्म का सबूत है.

आजादी के बाद के 50 वर्षों में कांग्रेस कश्मीर घाटी के लोगों के दिल और दिमाग़ को जीतने में नाकाम रही. अटल बिहारी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुलह की प्रक्रिया शुरू हुई. इस प्रक्रिया में तीन पक्ष थे: भारत, पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर (प्लस पीओके?). दो आयामी तरीके से समस्या का समाधान निकालने की बात की जा रही थी. पहले तरीके में भारत और पाकिस्तान तथा दूसरे में भारत और जम्मू-कश्मीर को शामिल करने की बात थी, लेकिन जब अलगाववादियों के एक छोटे समूह ने एक तीसरे पक्ष (पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर) बनाने की कोशिश की तो भारत को चौकन्ना होना पड़ा था. तीसरे पक्ष के डर ने भारत द्वारा कश्मीरियों का दिल जीतने के प्रयासों को सीमित कर दिया.

इस्लामिस्ट टेररिज्म ने 1980 के दशक के आखिरी दिनों में कश्मीर में जो घुसपैठ करना शुरू किया था, वह आज भी जारी है. जब भी पुलिस या सेना की गोली से किसी की मौत होती है तो उसके जनाज़े को जुलूस की शक्ल में निकाला जाता है. इस दौरान नौजवान आज़ादी का नारा लगाते हैं, जो और भी मौत का कारण बनता है.

आज़ादी का नारा भारत से आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि स्वायत्तता के लिए है, उस यथास्थिति के लिए है, जब वहां की सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री (जैसा कि 1947 से पहले प्रांतों के सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया जाता था) और राज्य के मुखिया को सदर-ए-रियासत कह कर संबोधित किया जाता था. कश्मीरियों से किए गए प्रमुख वादे पर चिदंबरम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके लिए उनकी आलोचना जरूर की जाएगी. एक पूर्व गृह मंत्री होने और कई सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल रहने की वजह से वे सभी मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं.

इस समस्या का एक साहसिक हल है और वह यह कि एक जनमत संग्रह कराया जाए, जिसमें जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिक शामिल हों (जैसा महाराजा ने पाकिस्तान के हमला नहीं करने की स्थिति में कराई होती). वहां के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे भारतीय संघ में इंटीग्रेट होना चाहते हैं या स्वायत्तता चाहते हैं. स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि 1947 और 1953 के बीच जो स्थिति थी, उसकी बहाली है और आर्टिकल 370 को प्रभावी ढंग से बहाल करना है. अगर भारत चाहता है कि जम्मू-कश्मीर उसे प्यार करे तो उसका यही एकमात्र तरीका है.■

शासन और प्रशासन की अनदेखी

नाले में तब्दील ऐतिहासिक लक्ष्मणा नदी

नदी किनारे निर्मित सीढ़ी घाट

उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश की शुरुआत होते ही बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू दी है. जहां एक तरफ उत्तर बिहार की नदियां तबाही मचा रही हैं, वहीं सीतामढ़ी जिले की ऐतिहासिक लक्ष्मणा नदी में अगस्त के महीने में भी नाले का पानी ही बह रहा है. नतीजा यह है कि नदी में जमी जलकुंभी व कचरे ने नदी को औचित्यहीन बना दिया है. सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर समुचित पहल नहीं किए जाने की वजह से धार्मिक महत्व रखने वाली इस नदी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. नदी की वर्तमान स्थिति को देखकर जिले के आम लोग चिंतित हैं. दशहरा और छठ पर्व के मद्देनजर लोगों में नदी की बदहाली की चर्चा तेज हो गई है.

वाल्मीकि कुमार

केंद्र और राज्य सरकारें नदियों की सफाई और उससे जुड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का दावा करती रही हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि नदियों की दशा में सुधार के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इस तथ्य का जीवंत उदाहरण सीतामढ़ी जिले की लक्ष्मणा नदी है. तकरीबन एक दशक से इस नदी की दिशा बदलने की वजह से नदी में पानी का प्रवाह नहीं हो पा रहा है. नतीजतन शहर के मध्य से प्रवाहित होने वाली ऐतिहासिक नदी महज एक नाला बनकर रह गई है. नदी की इस दशा के लिए सरकारी व प्रशासनिक तंत्र के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिध भी जिम्मेदार हैं. लोगों का कहना है कि एक तरफ नदी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कोष से लाखों रुपये नदी के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जा रहे हैं. नदी का लगातार अतिक्रमण हो रहा है और इस अतिक्रमण से प्रशासनिक महकमा अनजान बना हुआ है. दुर्गा पूजा के समय पिछले कई सालों से प्रतिमा विसर्जन के लिए नदी में अस्थाई बांध बनाया जा रहा है. पंपसेटों से नदी में मूर्ति विसर्जन के लायक पानी जमा किया जाता है. नगर परिषद द्वारा केमिकल डालकर पानी को साफ किया जाता है. कुल मिलाकर नदी की सफाई के नाम पर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नदी की समस्या का स्थायी निदान नहीं निकाला जा सका और न ही इसकी कोई सार्थक पहल हो रही है. सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी राजीव रौशन ने पिछले वर्ष कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर नदी की धारा में जल प्रवाह को लेकर प्रयास किया था, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है. जबकि इससे पूर्व नदी की समस्या दूर करने के लिए जिले के करीब आधा दर्जन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया था, लेकिन आंदोलन के दौरान प्रशासनिक स्तर समस्या के निदान के लिए आश्वासन देकर मामले को शांत करा दिया गया. अब हालत यह हो गई है कि दुर्गा पूजा समेत अन्य अवसरों पर प्रतिमा विसर्जन के लिए नदी में पानी नहीं है. सूर्योपासना का महापर्व छठ के अवसर पर लोग अपने ही दरवाजे पर गड्ढा खोदकर पूजा करने के लिए मजबूर हैं. कुछ दिनों पहले नदी किनारे रामघाट के समीप नगर परिषद द्वारा सीढ़ी का निर्माण कराया गया था जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. नदी की इस दशा से आहत लोगों का कहना है कि नदी में पानी का प्रवाह संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे में लाखों रुपये खर्च कर सीढ़ी का निर्माण कराना उचित नहीं है. प्रशासन को पहले नदी में जल प्रवाह के लिए प्रयास करना चाहिए था. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत तकरीबन 41 लाख रुपये की लागत से उक्त घाट का निर्माण कराया गया है. नदी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए रुन्नीसैदपुर की तत्कालीन विधायक गुड्डी देवी ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के दौरान इस मामले को उठाया था. उनके सवाल के जवाब में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि नेपाल के फुलपरासी से भारत-नेपाल सीमा तक तकरीबन 8 किमी एवं भारतीय सीमा सटे दुलारपुर ग्राम से पोसुआ पटनिया तक लगभग 15 किमी यानी कुल 23 किमी तक नदी की धारा सिल्टेड है. जिसकी वजह से नदी अपनी धारा बदलकर अधवारा समूह की नदियों में मिल गई है. उन्होंने बताया कि भारतीय क्षेत्र में नदी में गाद जमा होने की वजह से पानी का बहाव संभव नहीं है. गाद की सफाई के बाद ही नदी का जल प्रवाह संभव है. मामला अंतराष्ट्रीय होने की वजह से भारत-नेपाल जल प्लावन समिति में प्रक्रियाधीन है.

> पिछले वर्ष कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जमीनी कार्य प्रारंभ किया. इस अभियान में भारतीय क्षेत्र के अलावा नेपाल के भी कुछ सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी दी.

पिछले वर्ष कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जमीनी कार्य प्रारंभ किया था. इस अभियान में भारतीय क्षेत्र के अलावा कुछ नेपाल के सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी दी. लेकिन नेपाल में शुरू राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने नदी को जीवित करने के तमाम कवायदों पर पानी फेर दिया. नदी में फैल रहे प्रदूषण की वजह से संक्रामक बीमारियों की आशंका बढ़ती जा रही है. लोगों का कहना है कि राजनीतिक मंचों से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने वाले नेताओं को नदी में जल प्रवाह के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए.

जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ आकृष्ट करने की आवश्यकता है. अगर समय रहते नदी में पानी का बहाव शुरू नहीं हो सका तो इससे एक ओर जहां ऐतिहासिक नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों व भू-माफियाओं का अगला कदम नदी की जमीन होगी. नदी को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के अलावा सामाजिक संगठनों को एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब कौन सुनेगा तेरी आह नदिया धीरे बहो...

संजय सोनी

कोसी नदी की बाढ़ और इस इलाके में हो रही है लगातार बारिश से परेशान पीड़ित परिवारों को कहीं उससे अधिक परेशान उनकी सुध लेने वाले नेता कर रहे हैं. बाढ़ की शुरुआत होते ही नेता खाली हाथ नाव पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के लिए निकल जाते हैं. न सरकारी व्यवस्था और न कोई सरकारी पहल. नेता केवल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और लोगों को खुश करने के लिए झूठे आश्वासन देते हैं. कोसी के बाढ़ पीड़ितों की शायद यही किस्मत है. पीड़ित परिवार संघर्ष कर अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकारी सहायता के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है जो मिल भी रहा है, वह संतोषजनक नहीं है. इस इलाके में राजनीतिक दलों के नेता आते हैं और बाढ़ पीड़ितों को केवल कोरे आश्वासन देकर चले जाते हैं. ताकि अखबारों में उनके बयान प्रकाशित हो जाएं. बाढ़ की मार सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर , सलखुआ, नवहट्टा एवं सुपौल जिले के निर्मली व मरौना प्रखंड के लोगों को अधिक झेलनी पड़ रही है. इसी प्रकार मधुबनी जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है. शासन और प्रशासन की नींद टूटी तो बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन वो भी नाकाफी है. बाढ़ पाड़ितों के आंसू केवल सियासी फायदे के लिए पोछे जा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों के लिए केवल सेल्फी स्पॉट बन कर रह गए हैं. उनके बयान और अंदाज केवल बनावटी दिखते हैं. बाढ़ से प्रभावित एवं कटाव के शिकार परिवारों का हाल यह है कि उनके मकान पानी में समा गए हैं. बाढ़ पीड़ित किससे सहायता और राहत मांगें, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. सराकारी सहायता की बात करें, तो पहले अंचल अधिकारी आते और प्रभावित परिवारों को चिह्नित कर चले जाते थे. उसके बाद पीड़ित परिवारों की सूची बनती थी और उनको राहत सामग्री मिल जाती थी. लेकिन अब एक बार सूची बनेगी और उसके बाद सूची का सत्यापन होगा, तब कहीं जाकर राहत सामग्री मिलेगी. कुछ अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर पड़ताल की थी. अगर उस अनुपात में राहत दी जाती, तो बाढ़ पीड़ितों का दर्द कुछ कम हो जाता. महिषी के विधायक एवं बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. अब्दुल गफूर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी प्रभावित क्षेत्रों के कुछ स्थानों का दौरा किया. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी अररिया व सुपौल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. सिमरी बख्तियारपुर के विधायक दिनेश चन्द्र यादव भी पीछे नहीं रहे. मधेपुरा के सांसद ने भी अपने समर्थकों के साथ सहरसा व मधेपुरा दोनों जगहों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया, लेकिन क्या हुआ? बाढ़ पीड़ितों को किसी ने एक पैकेट बिस्कुट तक नहीं दिया. पता नहीं नेता पीड़ितों की मदद करने आते हैं या सेल्फी लेने? क्योंकि उनकी तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि वो केवल तस्वीरें खींचवाने आए थे. खैर, बाढ़, कटाव एवं विस्थापन कोसी वासियों की किस्मत में शामिल है. बाढ़ पीड़ितों की स्थिति देखकर एक गीत की एक पंक्ति याद आती है अब कौन सुनेगा तेरी आह, नदिया धीरे बहो. ■

www.iiher.org,
Mob. : 9386745004, 9204791696 Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
	YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT		
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate In Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।

Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

मगध विश्वविद्यालय
बंटवारे के सवाल पर बवाल

मगध विश्वविद्यालय के प्रस्तावित बंटवारे के बाद पटना, नालंदा, जहानाबाद तथा नवादा में चल रहे अंगीभूत, संबद्ध, बीएड व वोकेशनल कॉलेज मगध विश्वविद्यालय से कट जाएंगे. फिलहाल मगध विश्वविद्यालय में 44 अंगीभूत, 4 अल्पसंख्यक अंगीभूत, 200 संबद्ध, 56 बीएड तथा कई फार्मेसी व वोकेशनल कॉलेज हैं. मगध विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन शिक्षामंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा के प्रयास से 1962 में की गई थी. इसके लिए बोधगया स्थित शंकाराचार्य मठ के महंत, बुधौली मठ के महंत तथा अन्य कई मठों के महंतों ने भूमि दान में दी थी. अपने स्थापना के शुरुआती दिनों में ही यह विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर पूरे देश में चर्चित हो गया था, लेकिन 1992 में राजनीतिक साजिश के तहत इस विश्वविद्यालय का बंटवारा कर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में बनाया गया.

सुनील सौरभ

बिहार के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में शुमार मगध विश्वविद्यालय के बंटवारे के सवाल पर हंगामा शुरू हो गया है. बिहार सरकार के द्वारा मगध विश्वविद्यालय को दो भागों विभाजित करने के निर्णय से मगध विश्वविद्यालय में एक तरह से भूचाल आ गया है. मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेत्तर तथा छात्र संगठन बंटवारे के खिलाफ एकजुट होकर राज्य सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी बिहार सरकार के इस निर्णय को गलत बताया है. मांझी ने कहा कि पटना पहले से ही एजुकेशनल हब बना है. सरकार का मगध विश्वविद्यालय के बंटवारे का निर्णय मगधवासियों के खिलाफ है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं और हम बंटवारे के विरोध में होने वाले आंदोलन के साथ हैं. मगध विश्वविद्यालय सिनेट के सदस्य तथा मूटा के महासचिव डॉ. ब्रजेश राय ने कहा कि हम लोग बिहार सरकार के इस निर्णय का किसी भी हदतक जाकर विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि मगध विश्वविद्यालय का 1992 में बंटवारा करके वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय बनाया गया था. उस बंटवारे का दंष अभी तक मगध विश्वविद्यालय के कर्मी झेल रहे हैं. एक साजिश के तहत मगध विश्वविद्यालय का बंटवारा कर पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाने का राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. पटना के पास विश्वविद्यालय बनाने की जमीन नहीं है. वहीं नालांदा के नाम पर पूर्व से संचालित विश्वविद्यालय पटना में किराए के भवन में चल रहा है. मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ ने 1 अगस्त 2016 को मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय में बंटवारे के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया और दोबारा बंटवारे को मगध विश्वविद्यालय का असामयिक निधन मानते हुए 13 दिन का शोक मनाते हुए श्राद्धकर्म करने का निर्णय लिया.

मगध विश्वविद्यालय के प्रस्तावित बंटवारे के बाद पटना, नालंदा, जहानाबाद तथा नवादा में चल रहे अंगीभूत, संबद्ध, बीएड व वोकेशनल कॉलेज मगध विश्वविद्यालय से कट जाएंगे. फिलहाल मगध विश्वविद्यालय में 44 अंगीभूत, 4 अल्पसंख्यक अंगीभूत, 200 संबद्ध, 56 बीएड तथा कई फार्मेसी व वोकेशनल कॉलेज हैं. मगध विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन शिक्षामंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा के प्रयास से 1962 में की गई थी. इसके लिए बोधगया स्थित शंकाराचार्य मठ के महंत, बुधौली मठ के महंत तथा अन्य कई मठों के महंतों ने भूमि दान में दी थी. अपने स्थापना के शुरुआती दिनों में ही यह विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर पूरे देश में चर्चित हो गया था, लेकिन 1992 में कुछ लोगों की राजनीतिक साजिश के तहत इस विश्वविद्यालय का बंटवारा

पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार सरकार के इस निर्णय को गलत बताया है. मांझी ने कहा कि पटना पहले से ही एजुकेशनल हब है. सरकार का मगध विश्वविद्यालय के बंटवारे का निर्णय मगधवासियों के खिलाफ है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं और बंटवारे के विरोध में होने वाले आंदोलन के साथ हैं.

कर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में बनाया गया. अब दूसरी बार मगध विश्वविद्यालय का बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है. प्रस्तावित बंटवारे के खिलाफ मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मी आक्रोशित हैं. प्रस्तावित बंटवारे के खिलाफ यहां के शिक्षक व कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है. यहां के कर्मियों का कहना है कि प्रस्तावित बंटवारे से इस विश्वविद्यालय की स्थिति बौनी हो जाएगी. कभी यह विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, लेकिन 1992 में इस विश्वविद्यालय को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के रूप में बांटे जाने के बाद यह सिर्फ उत्तर भारत के बड़े विश्वविद्यालय के रूप में सिमट गया. प्रस्तावित बंटवारे के बाद मगध विश्वविद्यालय का वजूद राजधानी पटना समेत सात जिले से घट कर मात्र दो जिलों में सिमट जाएगा. मगध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. डा. सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि मगध विश्वविद्यालय का प्रस्तावित बंटवारा इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का वाजूद समाप्त करने की साजिश है. इसके खिलाफ विश्वविद्यालय के शिक्षक कोई भी कुर्वानी देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक तरह से गया की पहचान को खत्म करने की साजिश कर रही है. कभी साहाबाद, कैमूर-रोहतास, मगध व पटना प्रमंडल में इस विश्वविद्यालय का विस्तार था. अब केवल गया, जहानाबाद व औरंगाबाद तक ही सिमट कर रह जाएगा. बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष तथा मगध विश्वविद्यालय के अभियंता रमेश प्रसाद ने कहा कि 1992 में मगध विश्वविद्यालय को काट कर आरा में वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय बनाया गया, लेकिन अभी तक वहां अपना भवन नहीं बन सका है. मगध विश्वविद्यालय के बंटवारे का विरोध बड़े पैमाने पर किया जाएगा. मगध विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के महासचिव डॉ. अमरनाथ पाठक ने कहा है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी बंटवारे को रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. डा. पाठक ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय का यह बंटवारा वर्तमान कुलपति की अक्षमता का परिचायक है. जनअधिकार पार्टी के मगध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और छात्र संघ के नेता भवानी सिंह ने यहां तक कह दिया कि हमारी लाश पर ही

डॉ. अमरनाथ पाठक

भवानी सिंह

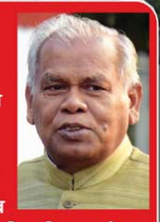

मगध विश्वविद्यालय का विभाजन होगा. चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम सभी छात्र मगध विश्वविद्यालय को दो भागों में बंटने नहीं देंगे. छात्र संघ इसके लिए अनिश्चितकालीन अनशन के साथ आंदोलन भी करेगा. मगध विश्वविद्यालय के दो भागों में बांटने के राज्य सरकार के निर्णय से मगध क्षेत्र के आमलोगों में भी आक्रोश उबल पड़ा है. मगध के विकास के बदले राज्य सरकार द्वारा इसके अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की बात पर मगध के लोग अब राज्य सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करने की तैयारी में लगे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बारिश का मौसम और सर्दी खांसी-बुखार

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR. SATRUDHAN PRASD SINGH
NAVADA, Purani Jail Road

नवादा जेल रोड के पास डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद सिंह विगत 1995 से मरीजों की सेवा में लगे हैं कभी-कभी वे मुफ्त कैम्प भी लगाते हैं। इससे पहले वे 35 वर्षों तक मेडिक ऑफिसर रहे और बाद में रिजायन किया। जनसेवा के लिए भी उन्होंने समता पार्टी, और बीजेपी ज्वायन कर चुनाव लड़े।

डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि इन दिनों बारिश का मौसम है और इस मौसम में उन्होंने सलाह दिया कि बारिश में भींगने से बचें और साथ ही यदि भींग जायें तो तुरंत शरीर को सूखे कपड़े से पोंछ लें। बासी खाना तो बिल्कुल न खायें और गर्म खाना खायें। सर्दी-खांसी बुखार रोकना संभव नहीं है क्योंकि यह वायरल है इसके लिए आपको संभल कर रहना होगा। इस तरह की परेशानी होने पर आप पारासिटामोल ले सकते हैं लेकिन आने नजदीकी डॉक्टर के सम्पर्क में रहें। इन दिनों पेट की समस्या ज्यादा रहती है इसके कुछ निम्न घरेलू उपाय हैं-उबले हुए या बोतलबंद पानी का सेवन करना चाहिए। हल्के गर्म पानी के साथ एक चम्मच शहद खाली पेट लेना फायदेमंद है। इससे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। गर्म पानी में एक चुटकी काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से बारिश के मौसम में होने वाली खांसी में राहत मिलती है। वायरल संक्रमण में एक-एक चुटकी अदरक का पाउडर, काली मिर्च और हल्दी पाउडर दूध में उबाल कर पीने से आराम मिलता है। तुलसी और अदरक के रस को शहद के साथ मिला कर लेना फायदेमंद है। वायरल होने पर संतरा, मौसमी जैसे विटामिन सी से भरपूर फल खाना उपयोगी है। मानसून में डेंगू की आशंका होने पर नियमित रूप से पपीते का जूस और नारियल पानी का सेवन फायदेमंद है।

सर्दी-जुकाम होने पर चुटकी-भर हल्दी मिला कर गर्म दूध पीना बहुत फायदेमंद है। ■ - भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

तबीयत खराब होने पर रोड शो के बीच ही लौटना पड़ा सोनिया को

पर कांग्रेसियों का उत्साह उफान पर

मोदी ने पूछा सोनिया गांधी का हाल

वाराणसी के रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल पूछा और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट भी किया. मोदी ने सोनिया के इलाज के लिए डॉक्टर भेजने और उन्हें दिल्ली लाने के लिए विशेष विमान भेजने की भी पेशकश की. मोदी ने सोनिया का हालचाल लेने के लिए शीला दीक्षित से भी फोन पर बात की थी. ■

सूफी यायावर

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो नहीं कर पाईं, लेकिन लोगों की अच्छी खासी संख्या के दर्शन से उनकी उम्मीदें फिर से परवान चढ़ी हैं. वाराणसी के रोड शो के दरम्यान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कार्यक्रम बीच में ही स्थगित कर उन्हें विशेष विमान से दिल्ली लौट आना पड़ा. उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र चुना. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिनों वाराणसी में जबरदस्त रोड शो किया. हालांकि तबीयत खराब हो जाने की वजह से रोड शो पूरा नहीं हो सका. सोनिया बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन नहीं कर पाईं. सोनिया ने अपने संदेश में कहा है कि तबियत खराब होने की वजह से वे काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाईं. स्वस्थ होते ही वे जल्दी काशी लौटेंगी और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगी.

वाराणसी की सड़कों पर सोनिया गांधी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ, लोगों ने फुल बरसाए और चौकाघाट में सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने शंख और रुद्राक्ष की माला भेंट की. लोगों की भीड़ से कांग्रेसियों में उत्साह है. रोड शो में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया, वाराणसी के कांग्रेस नेता अजय राय समेत कई जाने-पहचाने चेहरे शामिल थे, इन नेताओं का कहना था कि सोनिया के इस रोड शो से कांग्रेस में बिजली आ गई है. कांग्रेस ने सोनिया के रोड शो के लिए उन इलाकों को चुना था, जो दलित मुस्लिमों की आबादी वाले इलाके हैं. सड़कों पर उमड़ी भीड़ के बीच सोनिया का काफिला जिधर से गुजरा उधर लोग फुल-माला लेकर खड़े मिले. कांग्रेस की रणनीति भी यही रही है कि नरेंद्र मोदी को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में घेरा जाए. वाराणसी में छात्रों, युवाओं और महिलाओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया. खास कर मुस्लिम महिलाओं में सोनिया के प्रति भारी आकर्षण देखने को मिला. काजीसादुल्ला पुरा में तो हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने सोनिया का स्वागत किया. सर्किट हाउस से लेकर इंग्लिशिया लाइन तक आठ किलोमीटर लंबा यह रोड शो करीब तीन घंटे तक चला. रोड शो खत्म होने से कुछ देर पहले लहुराबीर चौराहे पर कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. बाद में रोड शो सोनिया के बगैर ही आगे बढ़ा. लेकिन सोनिया के जाने के बाद रोड शो में वह आकर्षण नहीं दिखा और भीड़ भी काफी कम हो गई.

सर्किट हाउस में सोनिया ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मार्च की शुरुआत की और इस पवित्र शहर की गलियों और संकरे मार्गों से गुजरीं. सोनिया की गाड़ी के साथ-साथ करीब 10 हजार कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कांग्रेस अध्यक्ष के कारों के काफिले की अगुवाई कर रहे थे. वाराणसी में रोड शो का आयोजन करके कांग्रेस यह दिखाना चाहती थी कि कांग्रेस ही भाजपा का एकमात्र मुकाबला कर सकती है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा भी कि 2014 विपक्षियों के लिए चमत्कार था. इस बार कांग्रेस के लिए चमत्कार होगा. लब्बोलुबाव यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है. इस बार कांग्रेस आलाकमान ने राज बब्बर को राज्य के पार्टी प्रमुख के रूप में चुना और शीला दीक्षित को अपना सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है. रोड शो के बहाने कांग्रेस को मोदी पर प्रहार करने का भी मौका मिला. कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद वाराणसी विकास के मामले में उपेक्षित है.

कांग्रेस ने यूपी की दुर्दशा का बखान करते हुए 27 साल, यूपी बेहाल के पोस्टर भी लगा रखे थे और खुद को इस बदहाली से अलग करते हुए कांग्रेस नेता खुद को उद्धारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे. कांग्रेस 27 वर्षों से उत्तरप्रदेश की सत्ता से बाहर है और वह 27 साल, यूपी बेहाल के नारे के साथ यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि राज्य की स्थिति इन 27 वर्षों में बद से बदतर हो गई है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की यह पहली वाराणसी यात्रा थी. पूर्वी उत्तरप्रदेश में वाराणसी महत्वपूर्ण स्थान है. राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 160 पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं. वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के सांसद हैं. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल दो सीटें अमेठी और रायबरेली जीती थी. जबकि भाजपा और सहयोगी अपना दल को 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. अब कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सम्पूर्ण क्रांति के सिपाही

मोहब्बत का पैग़ाम लेकर जाएंगे कश्मीर

चौथी दुनिया ब्यूरो

संपूर्ण सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी में 30-31 जुलाई, 2016 को संपन्न दो दिवसीय सम्पूर्ण क्रांति मित्र-मिलन आयोजन के मौके पर सम्पूर्ण क्रांति के सिपाहियों ने देश की मौजूदा हालत को 1974 से भी अधिक चुनौतीपूर्ण बताते हुए फिर से एक शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया. सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि देश की भावनात्मक एकता को मजबूत करने के लिए सर्व सेवा संघ के तत्वाधान में आगामी 3 सितम्बर से 3 नवम्बर 2016 के दौरान 60 दिवसीय साइकिल यात्रा, मोहब्बत का पैगाम नाम से और इसी संदेश के साथ असम के कोकराझार से जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर तक आयोजित की जाएगी. यह यात्रा 8 प्रदेशों-असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरेगी. हाल ही में गुजरात के उना में दलितों के उत्पीड़न की घटना के अलावा देश के अन्य इलाकों में दलित उत्पीड़न की तमाम घटनाओं के प्रतिवाद में सामाजिक समता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुजरात के साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू करने का फैसला भी इस सम्मेलन में लिया गया. यह यात्रा 11 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त को उना के निकट स्थित मोटा समधियाला गांव में संपन्न होगी.

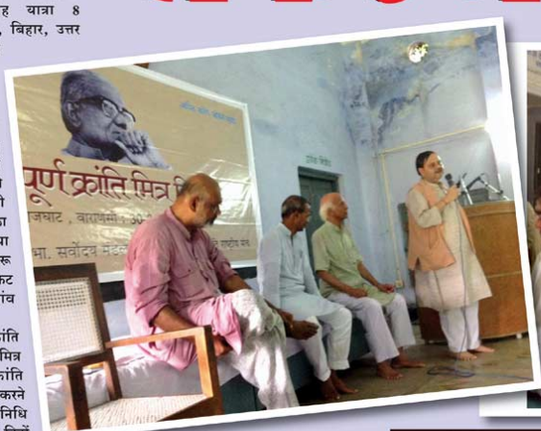

सर्व सेवा संघ और सम्पूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित इस मित्र मिलन में 1974 के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए. सम्मेलन में पिछले दिनों देश के अलग-अलग इलाकों में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ दमन और उत्पीड़न की शर्मनाक घटनाओं में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसकी तीखी भर्तस्ना की गई. यह बात निकल कर सामने आई कि पिछले दो वर्षों में अंध राष्ट्रवाद, गोरक्षा और छद्म देशभक्ति के नाम पर जातीय-साम्प्रदायिक विद्वेष को भड़काने की योजनाबद्ध कोशिशें की गई हैं, जिन्हें मौजूदा केंद्रीय व कई प्रांतीय सत्ता केंद्रों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है. इस सम्मेलन में देश की एकता को तोड़ने वाली ऐसी तमाम गतिविधियों और उन्हें संरक्षण देने वाले तत्वों के खिलाफ सक्रिय शांतिमय प्रतिरोध संगठित करने का फैसला किया गया.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वयोवृद्ध 92 वर्षीय गांधीवादी डॉ. रामजी सिंह ने कहा कि भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति को बचाने और मजबूत बनाने का प्रभावी अभियान चलाने की जरूरत है. गांधी-विनोबा-जयप्रकाश नारायण के विचारों को अपनाने वाली जमात को इसमें खुद को खपाने की जरूरत है. वक्ताओं ने अपनी यह चिंता साझा की कि देश में अति केंद्रीकरण के जरिए लोकतांत्रिक माहौल को खत्म करने की प्रक्रिया जारी है. यह बात भी उभरकर आई कि जनता के विरोध जताने के लोकतांत्रिक अधिकारों की उपेक्षा करने वाले ऐसे तमाम राजनीतिक दल व समूह खुद को 1974 के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन का भागीदार बताते हैं, जबकि असलियत यह है कि उस आंदोलन का इस्तेमाल उन्होंने सत्ता पाने की सीढ़ी के रूप में किया है.

चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने मीडिया और खासकर सोशल मीडिया के महत्व को रेखांकित करते हुए जनता के हकों की लड़ाई के अभियान में इन माध्यमों के सार्थक और सुनियोजित उपयोग पर बल दिया. सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने अपने समापन वकतव्य में देश के विभिन्न इलाकों से 1974 के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के साथियों सहित मौजूद प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि मौजूदा समय 1974 के दौर से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जब विकास के नाम पर गरीबों, वंचितों के हक-हकूक छीनने और उन्हें हाशिये पर पहुंचाने का काम ज्यादा चालाकी और होशियारी के साथ किया जा रहा है. इसलिए, 1974 वाले जज्बे और समर्पण के साथ शांतिमय जनसंघर्ष के एक नए दौर को शुरू करने की जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गांधी विद्या संस्थान को अवैध क़ब्ज़ेदारों से मुक्त कराओ...

देश के तमाम गांधी और जेपी के अनुयायियों ने बनारस के राजघाट स्थित दि गांधियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्टडीज (गांधी विद्या संस्थान) पर प्रदर्शन करके संस्था को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करके पुन: संचालित करने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व 92 वर्षीय प्रो. रामजी सिंह ने किया जो जेपी के निकट सहयोगी थे. देश भर से अहिंसा में विश्वास रखने वाले 100 से अधिक लोग संस्था के मुख्य भवन व अतिथि भवन तक नारे लगाते हुए पहुंचे. विभिन राज्यों से यहां पहुंचे लोकनायक के सिपहसालारों ने राजघाट स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1962 में स्थापित दि गांधियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्टडीज (गांधी विद्या संस्थान) की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की. ज्ञात हो कि संस्था पर गत कई वर्षों से अवैध लोगों का कब्ज़ा है जो मुख्य भवन में संस्कृत की पाठशाला चला रहे हैं. संस्था से निष्कासित कर्मचारी इन लोगों से एक लाख रुपये महीना किराया वसूल रहे हैं. गांधी विद्या संस्थान मुक्ति अभियान की संयोजिका मुनीज़ा खान ने बताया कि इस मुद्दे पर अगली बैठक व धरना 27 अगस्त को लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने प्रो. रामजी सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा. ■

सम्पूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच चलायेगा नया सर्वोदय अभियान

सम्पूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच ने गांधी, विनोबा भावे और जय प्रकाश नारायण के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आगामी ग्यारह सितंबर से ग्यारह अक्टूबर तक देशव्यापी नया सर्वोदय अभियान चलाने का निर्णय किया है. सर्वोदय आंदोलन के इन तीनों नेताओं के जन्मदिन इस एक माह की अवधि में हैं. यह निर्णय हाल ही में सर्व सेवा संघ के तत्वावधान में वाराणसी में आयोजित सम्पूर्ण क्रांति मंच मित्र मिलन में लिए गए. अपने कार्यक्रमों को गति देने के लिए मंच ने नयी संचालन समिति गठित की है, जिसके संयोजक जवपुर के भवानी शंकर कुसुम हैं. मंच ने बाताया कि एक माह तक चलने वाले इस अभियान में सत्ता के विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, स्वरोजगार के लिए खेती, खादी और कुटीर उद्योग, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा, प्रशासन की जवाबदेही, भागीदारी, लोकतंत्र पर बल दिया जायेगा, जिससे न्याय संगत और समता मूलक समाज की स्थापना हो सके. ■

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार कांड पर आजम का भस्मासुरी बयान

घटना और बयान दोनों निकृष्ट

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गाड़ी रोक कर परिवार वालों के सामने महिला और 13 साल की बिटिया के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार की घटना से पूरा देश ममाहत है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खान ने इस जघन्य बलात्कार कांड को विपक्ष की साजिश कह कर सपा के ताबूत में कील ठोक दी. सपा के नेता खुद ही दबी जुबान से कह रहे हैं कि सपा का नुकसान जितना आजम खान ने किया उतना सपा के दुश्मनों ने नहीं किया. आजम खान के बयान से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व अन्य वरिष्ठ नेता हतप्रभ हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आजम खान के बयान से सपा का बैनर जितना फटा है, उसकी रफूगीरी कैसे हो!

बुलंदशहर की घटना विपक्ष की साजिश है, ऐसा कह कर आजम खान ने देश और प्रदेश को अपने मौलिक चरित्र का भी परिचय दिया है. आजम ने घटना को विपक्ष की साजिश करार देते हुए कहा कि यह जांच करानी चाहिए कि कहीं यह मामला राजनीति से प्रेरित होकर सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं किया गया. ऐसे संवेदनशील मौके पर आजम ने अपने गिरने के स्तर का ध्यान रखे बगैर कहा कि इस समय विपक्ष किसी भी हद तक गिर सकता है. आजम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांगें उठने लगी हैं. धृष्टता की हद यह है कि अपने बयान पर खेद जताने की औपचारिकता निभाते हुए भी आजम ने दोबारा कहा कि यूपी में चुनाव करीब है और इतनी सारी घटनाएं जो हो रही हैं उनकी जांच जरूरी है. आजम ने कहा कि कहीं कोई विपक्षी दल जो सत्ता में आना चाहते हैं, वे सरकार को बदनाम करने के लिए यह कुकर्म तो नहीं कर रहे हैं. आजम आगे बोले कि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है कि कुछ भी हो सकता है. आजम के बयान से सामूहिक बलात्कार की घटना से पीड़ित परिवार की तकलीफ और बढ़ गई. आजम के विवादित बयान पर पीड़ित परिवार ने गहरा क्षोभ जताया और कहा कि जिसने इस तकलीफ को झेला है उसके दुख और सदमे को कोई संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है. पीड़ित बच्ची के पिता ने पूछा कि यदि आजम खान के साथ ऐसा ही हुआ होता तब भी क्या वह ऐसा ही बेजा बयान देते! पिता ने कहा कि हमें राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए. घटना के बाद से सदमे के कारण उनकी बिटिया एक शब्द भी बोल नहीं पाई है.

उल्लेखनीय है कि बीती 29 जुलाई की रात को नोएडा के सेक्टर-68 में रहने वाला एक परिवार अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर जा रहा था. रात के तकरीबन डेढ़ बजे उनकी कार जैसे ही बुलंदशहर के दोस्तपुर गांव के फ्लाईओवर के पास पहुंची तभी उनकी गाड़ी में कुछ टकराने की आवाज हुई. गाड़ी चेक करने के लिए जैसे ही दोनों भाई नीचे उतरे तभी आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया और हथियारों के बल पर कार को एकांत खेत में उतार कर ले गए. परिवार वालों के सामने ही अपराधियों ने मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया. विडंबना यह है कि घटनास्थल पुलिस चौकी से मात्र सौ मीटर की दूरी पर स्थित है और 100 नंबर पर बार-बार फोन किए जाने के बावजूद पुलिस सुबह साढ़े पांच मौके पर पहुंची. पुलिस पर गंभीर कोताही के आरोप हैं. इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत पर देशभर में थू-थू हुई. बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार कांड लोकसभा में भी गूंजा, लेकिन अखिलेश सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की विशेष कृपा के कारण केंद्र ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था की ऐसी जहालत पर आड़े हाथों लेने से कन्नी काट ली.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को लेकर अखिलेश सरकार पर सवाल जरूर उठाए. महिला आयोग की अध्यक्ष ललित कुमार मंगलम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर, सामूहिक बलात्कार की घटना, अपराधियों के दुस्साहस और पुलिस की नपुंसक भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई. विपक्षी दलों ने भी राज्य में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार की तीखी आलोचना की. भाजपा सांसद भोला सिंह ने आजम जैसे लोगों के नेता होने पर ही सवाल उठाया और कहा कि ऐसे लोगों के कारण ही अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि केवल यही एक घटना नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2015 से लेकर अबतक बलात्कार की 2752 और हत्या की 1246 घटनाएं हो चुकी हैं. सारे अपराध प्रदेश सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं. सरकार के दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है. भोला सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की. भाजपा ने बुलंदशहर की घटना को राज्य में फैले गुंडाराज की बानगी करार दिया. कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी कहा कि आजम का बयान अपराधियों का हौसला बढ़ाने वाला बयान है. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा नेता मायावती ने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा और कहा कि उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, लिहाजा उन्हें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनाई गई दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब तक जो किया है उसे किनारे रखिए. अकेले बुलंदशहर की घटना ही अत्यंत दुखद, शर्मनाक और निर्मम है. अगर ऐसे मामलों में पुलिस भुक्तभोगी की मदद न करे तो इससे पता चलता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब है और राज्य में लोग किस तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने कहा कि पीड़ितों ने फरीदाबाद निवासी बबलू चंद बावरिया को पहचान लिया है. एक और आरोपी नरेश सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है. तीसरा अभियुक्त रईस अहमद घटनास्थल के पास सुतारी गांव का रहने वाला है. तीन में से एक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह जेल में कुछ समय बिता चुका है. मुख्यमंत्री हों या डीजीपी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दुर्दशा पर कोई बोलने की स्थिति में नहीं है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, इटावा, मैनपुरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत कई जिले अपराध के लिए बुरी तरह बदनाम हैं. ■

बलात्कार में नाम कमा रहा है यूपी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर मां-बेटी के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश का ध्यान उत्तर प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था की तरफ खींचा है. घटना स्थल और पुलिस चौकी की तकरीबन सौ मीटर है. सूचना मिलने के बावजूद पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने की हरकत ने पुलिस के प्रति लोगों में अविश्वास को और गहरा बना दिया है. इससे अपराधियों का दुस्साहस बढ़ गया है. सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 से 2015 के बीच बलात्कार के मामलों में 161 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई. उत्तर प्रदेश राज्य क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में प्रदेश में 3,467 बलात्कार की घटनाएं हुई थीं. वर्ष 2015 में बलात्कार की घटनाएं बढ़कर 9,075 हो गईं. बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ने की दिशा में ही अग्रसर है. बलात्कार के प्रयास की घटनाओं में भी 30 फीसदी का इजाफा हुआ है. राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2014 के आंकड़े भी बताते हैं कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में हर साल बलात्कार की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है और यह राष्ट्रीय औसत से तकरीबन दोगुना है. पूरे देश में 2010 में बलात्कार की 22,172 घटनाएं दर्ज हुईं तो अकेले उत्तर प्रदेश में इस दरम्यान 1,563 घटनाएं दर्ज हुईं. देशभर में वर्ष 2014 में बलात्कार की 36,735 घटनाएं घटीं, जबकि अकेले यूपी में वर्ष 2014 के दौरान बलात्कार की 3,467 घटनाएं दर्ज हुईं. इस तरह उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं में 121 प्रतिशत का इजाफा दर्ज हुआ. यह वर्ष 2016 में अभी ही 160 प्रतिशत से ऊपर जा रहा है. ■

आज़म को कब तक झेलेंगे अखिलेश?

श्याम कुमार

आजम खान को सृष्टि में शायद दो ही व्यक्ति पूरी तरह सही लगते होंगे, एक स्वयं और दूसरे उनके चहेते अधिकारी श्रीप्रकाश सिंह. आजम से लाभान्वित होते रहने वाले कुछ कट्टरतावादी पत्रकार भी उस कड़ी में नीचे जोड़े जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की जड़ में मट्ठा डालने का काम करने में दो विभाग विशेष रूप से अग्रणी हैं, नगर विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग. सपा सरकार पर जो लोग टाट का पैबंद बने हुए हैं, उनमें आजम खां अग्रणी हैं. आजम का बयान और प्रदेश के नगर नारकीय दृश्य पैदा कर रहे हैं. आजम के नेतृत्व में नगर विकास विभाग निकम्मेपन का पर्याय बना हुआ है. प्रदेश के सारे नगर नरक बने हुए हैं. सफाई का अभाव बीमारियां फैलाकर लोगों की जान लेने पर आमादा है तो जर्जर एवं गड्ढों से भरी हुई सड़कें लोगों की मौत एवं हड्डी-पसली टूटने का कारण बनी हुई हैं. नगर विकास विभाग एवं लोकनिर्माण विभाग की सड़कों में होड़ है कि किसकी दशा अधिक जर्जर है तथा कौन लोगों की अधिक जानें ले सकती हैं! आजम अपनी जहरीली जुबान के लिए मशहूर हैं. वे कब किसके लिए क्या गलत बोल जाएं, कोई ठिकाना नहीं. कुछ लोग कहते हैं कि जहरीली बातें बोले बिना आजम खां को खाना नहीं हजम होता. तभी तो उन्होंने बुलंदशहर के घिनौने सामूहिक बलात्कार कांड में भी यह जहर उगलने में कोताही नहीं की कि यह कांड राजनीतिक विरोधियों की साजिश है तथा वोट के लिए लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं. उस अमानुषिक घटना के पीड़ितों ने आजम खान को करारा जवाब दिया है. पीड़िता के पिता ने पूछा है कि यदि सामूहिक बलात्कार कांड का शिकार उनकी बेटी हुई होती तो क्या वह तब भी ऐसा बयान देते? पीड़िता के चाचा ने तो यहां तक कह दिया कि आजम खान पागल हो गए हैं, तभी ऐसा घृणित बयान उन्होंने दिया है. हालांकि आजम खां सफाई भी देने लग गए. लेकिन वह उनकी पुरानी आदत है. वह पहले ढेला मारकर शांत जल में उथलपुथल मचाते हैं और फिर इधर-उधर की बातों से सफाई देते हैं. वह प्रधानमंत्री और राज्यपाल तक को अपनी बदजुबानी का शिकार बनाने से नहीं हिचकते. गत दिवस बरेली में राजमार्ग पर एक शिक्षिका के साथ सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार कांड हुआ. वहां सीवीगंज में राजमार्ग पर एक वैन पर सवार तीन दरिंदों ने सड़क पर जा रही एक शिक्षिका को वैन में खींच लिया तथा लगभग पांच किमी दूर बंडिया गांव के खेत में ले जाकर उससे सामूहिक बलात्कार किया. उसके बाद सड़क पर उसे फेंककर फरार हो गए. उन्होंने अपने दुष्कर्म की फोटोग्राफी भी की. क्या आजम खान इसे भी विपक्षियों की साजिश बताएंगे? जनता पूछ रही है कि अखिलेश यादव आजम खान को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? मुख्यमंत्री जितनी जल्दी उनसे निजात पा लें, उतना उनके हित में होगा. ■

समाजवादी सरकार का सबसे बदनुमा दाग़

मृत्युंजय दीक्षित

जिस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास के दावों के साथ प्रदेश के अगले विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में पुनरवापसी का सपना संजो रहे थे और सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित करा रहे थे ठीक उसी समय बुलंदशहर हाईवे पर मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की शर्मनाक और समाज को हिलाकर रख देने वाली वारदात घटित हो गई. इस घटना में पीड़ित परिवार ने जो खुलासा किया वह बेहद दुखद और शर्मनाक परिस्थितियों को उजागर करता है. बुलंदशहर की घटना समाजवादी सरकार पर बदनुमा धब्बा है. यह सरकार की कार्यप्रणाली और पुलिस के हाईटेक दावों की पोल खोलने वाली घटना है. यह घटना बता रही है कि यूपी पुलिस चाहे ई-थाना बना ले या फिर 100 नंबर और महिला हेल्पलाइन-1090 को लेकर अपनी पीठ ठोक ले, यूपी की पुलिस कभी सुधरने वाली नहीं. अभी बुलंदशहर घटना की गूंज मीडिया से लेकर संसद और राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में थम भी नहीं पा रही थी कि 24 घंटों में पांच जिलों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की वारदातें प्रकाश में आ गईं. यह घटनाएं सीतापुर, फतेहपुर, मेरठ, संभल, महोबा आदि जिलों में घटित हुईं. सभी घटनाओं में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है. फिरोजाबाद जिले में भी एक नवविवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई.

महिलाओं के साथ अपराध व अभद्रता करने वालों के हौसले उत्तर प्रदेश में इतने अधिक बुलंद हो चुके हैं कि राजधानी लखनऊ में एक छात्रा के घर में घुसकर दबंग ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे दिया. यह 1090 पुलिस सहायता का असली चेहरा है. जब से प्रदेश में समाजवादी सरकार का गठन हुआ है तब से प्रदेश में अपराधों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है. प्रदेशभर में महिलाओं की सुरक्षा नहीं रह गई है. एक से बढ़कर एक बलात्कार कांड सामने आ रहे हैं और बलात्कार की भुक्तभोगी महिलाओं की हत्या और उन पर तेजाब से हमले कर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. समाजवादी सरकार जहां विकास के खोखले दावों में मस्त है वहीं प्रदेश भर में बलात्कारी और अन्य जघन्य वारदात करने वाले अपराधी बेखौफ अपना काम कर रहे हैं. बुलंदशहर में घटी घटना पुलिस अधिकारियों की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है उससे भी बड़ी पुलिस की लापरवाही लखनऊ में सामने आई. लखनऊ में एक हादसे में सड़क किनारे खड़े परिवार के पांच सदस्यों को एक ट्रक रौंदकर चला गया. पुलिस को सहायता के लिए फोन किया गया तब एक घंटे बाद पुलिस पहुंची. पुलिस की ऐसी हरकत पर नाराज हुए लोगों ने जमकर उपद्रव किया, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं निकला. राजधानी लखनऊ से लेकर अन्य जिलों में बलात्कार और हत्या के कई ऐसे मामले हुए जिनमें पुलिस आज तक कुछ नहीं कर पाई. लखनऊ के मोहनलालगंज में शिक्षिका से बलात्कार की घटना से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया. ■

feedback@chauthiduniya.com

अभिव्यक्ति की आज़ादी के चौराहे

अनंत विजय

चंद दिनों पहले मद्रास हाईकोर्ट से प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन के उपन्यास और उसके बाद उसके विरोध और लेखक के फेसबुक पर मरने के एलान के बाद की स्थितियों को लेकर दायर याचिका पर फैसला आया. मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा इस फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूती देने वाला करार दिया गया. मुझे लगता है कि इस फैसले को बगैर पूरा पढ़े अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियनों ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया. संजय किशन कौल इस तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं. जब वो दिल्ली उच्च न्यायालय में थे तो उन्होंने एफएम हुसैन के केस में इसी से मिलता जुलता फैसला दिया था. तब भी अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकारों ने ऐसा ही शोरगुल मचाया था. प्रो मुरुगन केस में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले के एक सौ चौरासीवें पैरा में एक गाइडलाइन बनाने का सुझाव दिया है. इसके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि सरकार को इस तरह के मसले को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करनी चाहिए. इस कमेटी में साहित्य और कला के क्षेत्र के महारथियों को सदस्य बनाने का सुझाव दिया गया है. कोर्ट के मुताबिक इस तरह के लोगों की कमेटी प्रो मुरुगन जैसे मसलों में बगैर किसी पूर्वाग्रह के अपनी बात को कह सकती है या अपनी राय दे सकती है. कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह से साहित्य और कला के विवादित मसलों को हम सिर्फ पुलिस और स्थानीय प्रशासन के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं. इसके अलावा लेखकों, कलाकारों को सुरक्षा से लेकर इस तरह के मसलों को सुलझाने के लिए अफसरों को नियमित अंतराल पर ट्रेनिंग की बात भी की गई है.

अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार जो अदालत के इस फैसले से बेहद खुश हो रहे हैं उनको अदालत द्वारा सुझाई गई इस गाइडलाइन पर भी विचार करना चाहिए. सवाल यह है कि जब कानून में इस तरह के मसलों से निबटने के लिए तमाम तरह की धाराएं मौजूद हैं तो फिर एक और कमेटी क्यों? सवाल यह भी है कि हमारे देश में कलाकार और लेखक भी राजनीति के हिस्सा रहे हैं. वो किसी न किसी पार्टी या लेखक संगठन से जुड़े रहे हैं और ये लेखक संगठन पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं यह बात सार्वजनिक रूप से मान्य है. ऐसे में अगर अदालत किसी निरपेक्ष कमेटी की कल्पना कर रही है तो मेरी समझ से तो ये संभव नहीं है. और फिर अगर किसी सरकार को इसका गठन करना होगा तो फिर तो और भी संभव नहीं है, क्योंकि सरकारें अपने हिसाब से इसमें अपने समर्थक लेखक और कलाकारों की नियुक्ति करेंगी.

अब जरा इस फैसले की पृष्ठभूमि में चलते हैं. तमिलनाडु के एक गांव के लोगों के विरोध से परेशान होकर उसी गांव के लेखक प्रो पेरुमल मुरुगन ने पिछले साल लिखना छोड़ने का एलान कर दिया था और कहा था कि एक लेखक की मौत हो गई है. मद्रास हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद मुरुगन ने फिर से लिखना शुरू करने का एलान कर दिया है. दरअसल ये पूरा विवाद पिछले साल आई प्रोफेसर मुरुगन की किताब को लेकर उठा था. उनका उपन्यास 'मधोरुबगन' जब छपा था तो उसकी थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन जब वो अंग्रेजी में 'वन पार्ट वूमन' के नाम से छपा तो विरोध की चिंगारी ज्वाला में

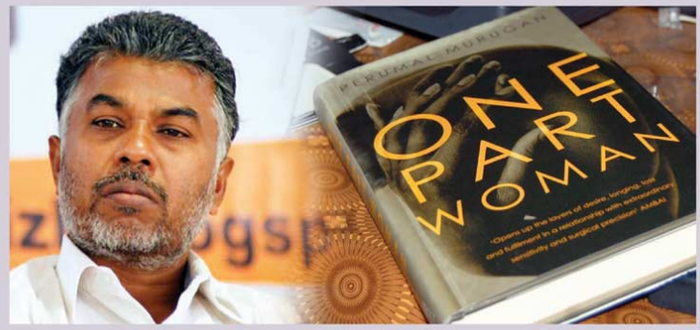

तब्दील में हो गई. इस उपन्यास में प्रोफेसर मुरुगन ने तमिल समाज में व्याप्त लैंगिक और सामाजिक असामनता को कसौटी पर कसा था. उपन्यास के प्रकाशन के चार साल के बाद हुए विरोध की ध्वजा तमिल लेखक मुरुगन के गांव तिरुचेनगोडे के लोगों ने ही उठाई थी. जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया वैसे वैसे मुरुगन पर दबाव भी बढ़ा और इसी दबाव की वजह से पीस कमेटी की एक बैठक में उन्हें बिना शर्त माफीनामा लिखना पड़ा था और उसके बाद उन्होंने लेखन की मौत का एलान कर दिया था. उसके बाद ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया और कुछ संगठनों ने याचिका डालकर इस किताब पर पाबंदी लगाने की मांग की. मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल ने याचिका को खारिज करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की. अदालत ने साफ कह दिया कि किसी भी संगठन या संगठनों को स्वयंभू सेंसरशिप की इजाजत नहीं दी जा सकती है. विद्वान न्यायाधीश संजय किशन कौल ने याचिका खारिज करते हुए करीब एक सौ साठ पन्नों का फैसला दिया. उनका ये फैसला ऐतिहासिक कहा जा सकता है. ये इस मायने में ऐतिहासिक है कि किताबों पर पाबंदी लगाने की मांगों के बीच इसको नजीर के तौर पर देखा जा सकता है. फैसले में लेखकीय स्वतंत्रता को कायम रखने पर जोर देते हुए कहा गया है कि 'अगर कोई किसी किताब से इत्तेफाक नहीं रखता है या उसमें लिखे हुए शब्दों से उसकी भावनाएं आहत होती हैं तो वो उसको अलग रख दे. फैसले में साफ कहा गया है कि कोई भी चीज जो पहले स्वीकार्य न हो वो बाद में स्वीकार की जा सकती है. न्यायाधीश ने इस संबंध में लेडी चैटर्लीज लवर का उदाहरण भी दिया. उन्होंने टिप्पणी की कि-किसी किताब को पढ़ने या न पढ़ने का विकल्प पाठकों के पास होता है. अगर कोई किताब पसंद नहीं हो तो उसे फेंक दीजिए. किसी किताब को पढ़ने की कोई मजबूरी नहीं है.

अदालत ने अपने फैसले में अश्लीलता पर भी टिप्पणी की और कहा कि अगर किसी किताब में इरोटिका को उभारा गया है तो क्या गलत है. हमारे देश में इस तरह की परंपरा रही है.

लेकिन इस फैसले को अंतिम सत्य मान लेने वालों को एक अन्य फैसले को भी ध्यान में रखना चाहिए. मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन के 1970 में बनाए गए सरस्वती और दुर्गा की नग्न तस्वीरों के एक मामले में 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जेडी कपूर का एक फैसला आया था. जस्टिस कपूर ने आठ अप्रैल 2004 के अपने फैसले में लिखा कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि देश के करोड़ों हिंदुओं की इन देवियों में अटूट श्रद्धा है- एक ज्ञान की देवी हैं तो दूसरी शक्ति की. इन देवियों की नग्न तस्वीर चित्रित करना इन करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो है ही साथ ही उन करोड़ों लोगों की धर्म और उसमें उनकी आस्था का भी अपमान है. शब्द, पेंटिंग, रेखाचित्र और भाषण के माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा हासिल है जो कि हर नागरिक के लिए अमूल्य है. कोई भी कलाकार या पेंटर मानवीय संवेदना और मनोभाव को कई तरीकों से अभिव्यक्त कर सकता है. इन मनोभावों और आइडियाज की अभिव्यक्ति को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है. लेकिन कोई भी इस बात को भुला या विस्मृत नहीं कर सकता कि जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है. अगर किसी को अभिव्यक्ति का असीमित अधिकार मिला है तो उससे यह अपेक्षित है कि इस अधिकार का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करे न कि किसी धर्म या धार्मिक प्रतीकों या देवी देवताओं के खिलाफ विद्वेषपूर्ण भावना के साथ उन्हें अपमानित करने के लिए. हो सकता है कि ये धार्मिक प्रतीक या देवी देवता एक मिथक हों लेकिन उन्हें श्रद्धाभाव से देखा जाता है और समय के साथ ये लोगों के दैनिक धर्मिक क्रियाकलापों से इस कदर जुड़ गए हैं कि उनके खिलाफ अगर कुछ छपता है, चित्रित किया जाता है या फिर कहा जाता है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. किसी भी खास धर्म के देवी देवताओं की आपत्तिजनक या नीचा दिखाने वाले रेखाचित्र या फिर पेंटिंग समाज में वैमनस्यता और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं. जस्टिस कपूर ने अपने फैसले में और भी कई सख्त टिप्पणियां की थीं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले इस तरह के मामलों में आ चुके हैं.

अपने फैसले में जस्टिस कौल ने एक सौ सतासीवें पैरा में साफ कहा है कि प्रो मुरुगन ने अपने उपन्यास में साफ कहा है कि उन्होंने अपने शोध के आधार पर कुछ तथ्यों को सामने रखा है. इस फैसले से एक और बात साफ होती है कि इस तरह के मसलों पर विचार करते समय लेखक या चित्रकार की मंशा का भी ध्यान रखना चाहिए. उसके बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता है. इस तरह के विवादित मसले का निबटारा अदालत से ही हो, क्योंकि अगर कोई कमेटी बनती है तो उसका निष्पक्ष रह पाना मुमकिन नहीं है, सरकार द्वारा गठित कमेटी सरकार की रीतियों और नीतियों के हिसाब से चलती हैं, ऐसा पूर्व में देखा जा चुका है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

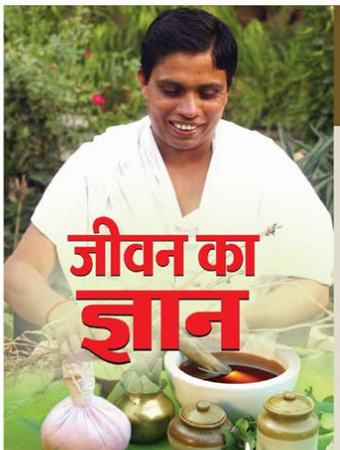

इमली

परिचय

इमली के वृक्ष काफी ऊंचे होते हैं तथा सघन छायादार होने के कारण सड़कों के किनारे भी इसके वृक्ष लगाए जाते हैं. इमली का वृक्ष उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा मेडागास्कर का मूल निवासी है. वहां से यह भारत में आया और अब पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होता है. वहां से ईरान तथा सउदी अरब में पहुंचा जहां इसे तमार-ए-हिंद (भारत का खजूर) कहते हैं.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग :

- **सिर दर्द-** 10 ग्राम इमली को एक गिलास पानी में भिगोकर, मसल-छानकर, शक्कर मिलाकर पीने से सिर दर्द का शमन होता है.

कर्ण रोग :

- इमली के फल रस अथवा जम्बीरी नीबू रस से पकाए हुए तैल को 1-2 बूंद कान में डालने से कर्ण दर्द का शमन होता है.

मुख रोग :

- इमली को पानी में डालकर, अच्छी तरह मसल-छानकर कुल्ला करने से मुख के छालों में लाभ होता है.

हृदय रोग :

- मिश्री के साथ इमली का शर्बत बनाकर पीने से हृदय रोग का शमन होता है.

उदर रोग :

- 25 ग्राम इमली को 500 मिली पानी में मसलकर छान लें, इसमें 50 ग्राम मिश्री, 4 ग्राम दालचीनी, 4 ग्राम लौंग और 4 ग्राम इलायची मिलाकर 4 मिली की मात्रा में पिलाएं. इसके प्रयोग से क्षुधा की वृद्धि हाती है तथा दीर्बल्य व वात विकारों का शमन होता है.

अस्थिसंधि रोग :

- इमली की पत्तियों को पीसकर गुनगुना कर लेप लगाने से मोच में लाभ होता है.

त्वचा रोग :

- **दाद-** इमली के बीज को नींबू के रस में पीसकर लगाने से दाद का शमन होता है.
- इमली के 10 ग्राम पत्तों को पीसकर गर्म करके लगाने से फोड़ा पककर शीघ्र फूट जाता है.
- **सफेद दाग-** इमली के बीजों की मींगी और बावची

दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीसकर लगाने से सफेद दाग में लाभ होता है.
- इमली के पत्तों का क्वाथ बनाकर घावों को धोने से घाव जल्द ठीक होता है.

सर्वशरीर रोग:

- 10 ग्राम इमली और 25 ग्राम छुहारों को 1 ली दूध में उबालकर, छानकर पिलाने से घबराहट दूर होती है.
- इमली का शर्बत बनाकर पिलाने से ज्वर का शमन होता है.
- 25 ग्राम इमली को रात भर एक गिलास पानी में भिगोकर प्रातःकाल छानकर पानी में शक्कर मिलाकर ईसबगोल के साथ पिलाने से पित्तज्वर का शमन होता है.
- लू लगने पर इमली फल के गूदे को ठंडे पानी में पीसकर, सिर पर लगाने से लाभ होता है.
- पकी हुई इमली को पानी में पीसकर उस पानी में कपड़ा भिगोकर शरीर को कुछ देर तक पोंछने से लू का असर कम होता है.

मात्रा : *फल 4-30 ग्राम. बीज चूर्ण 1-3 ग्राम या चिकित्सक के परामर्शानुसार.* ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

कुरीतियों को तोड़ने के लिए लेते हैं अवतार

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

एक गृहस्थ किस प्रकार अपने व्यवसाय एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए बाबा से संबद्ध कार्यों में संलग्न हो सकता है?

एक गृहस्थ को अपने परिवार के प्रति अपने सभी दायित्वों का श्रेष्ठता से निर्वाह करते हुए बाबा के लिए समय निकालना है. उसे अपने गृहस्थ जीवन को सरल बनाना चाहिए. रहन-सहन को सादा रखना चाहिए, ताकि उसे आसानी से संभाला जा सके. नित्य कर्मों को अत्यन्त व्यवस्थित करते हुए न्यूनतम समय में करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बाबा के कार्य के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके. अपने व्यवसाय एवं अधिकार संबंधी कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य को करते समय उससे संबद्ध अन्य कार्यों के भार से मन पूर्णतः मुक्त रहे. व्यवस्थित होने से ही यह संभव होता है. जिस समय जो भी कार्य करें, उस पर पूर्ण ध्यान दें और उसे निष्ठावान होकर सुव्यवस्थित रूप से पूरा करें. बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रत्येक कार्य के लिए समय रखना चाहिए. कोई भी कार्य चाहे वह स्वयं का हो अथवा सौंपा हुआ हो, उसे पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पूर्णतावादी दृष्टि से करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पूर्ण हैं. यदि अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को निष्ठा, दक्षता एवं पूर्णता के साथ किया जाएगा तो ईश्वर के सान्निध्य का अनुभव होगा. प्रत्येक कार्य को करते समय ईश्वर को सदा अपने ध्यान में रखो. उसे अपने हर पल का साथी बनाओ.

पारिवारिक चिंताएं

परिवार और बच्चों के बारे में हम आमतौर पर चिंतित रहते हैं. इनको कैसे निभाया जाए?

सब कहते हैं ईश्वर दुनिया चलाते हैं. पिछली पीढ़ी में बाप-दादा आए थे और अगली पीढ़ी में पौत्र-प्रपौत्र होंगे. ये सब जीव पूर्व जन्मों के बंधन के कारण हमारे अपने बने और पहले का ऋण खत्म होने के बाद अपनी-अपनी जीव-दशा को प्राप्त हुए. इस जन्म के पिता अगले जन्म में पिता बनेंगे या इस जन्म की संतान आगे के जन्म में भी संतान होगी, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है. ये अपने कर्मफल भोगेंगे जैसे कि हम भोग रहे हैं. हम केवल पूर्वजन्मों के ऋण के कारण सहायता कर सकते हैं-अपनी सीमाओं के भीतर. जो हमारी सीमाओं के बाहर है, जैसे कि जन्म-मृत्यु, यश-अपयश, हानि-लाभ आदि, तो वह उनको अपने प्रारब्ध के अनुसार अवश्य मिलेगा. अगर हम सब अपनी इच्छानुसार इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कष्ट भोगना पड़ सकता है, क्योंकि चाहे अपना बच्चा ही हो, वह हमसे ज्यादा ईश्वर की इच्छानुसार आगे बढ़ेगा. अगर हम सोचें कि हम जीवन के प्रारम्भ में क्या बनना चाहते थे और हमारे माता-पिता ने भी हमें क्या बनाना चाहा, फिर हम आगे चलकर क्या बने, इसमें काफी पार्थक्य है. कभी-कभी तो हम अपने बच्चों के बारे में जो सोचते हैं, वे उससे भी आगे बढ़ जाते हैं.

अनावश्यक परंपराओं का त्याग

क्या धार्मिक, सामाजिक-परंपरा को परिवर्तित करना चाहिए?

पृथ्वी के इतिहास में कई परंपराएं बनती रही हैं और लुप्त होती रहीं. कहीं कोई सनातन परंपरा नहीं है. यहां तक कि धर्मों की परंपराएं भी सनातन नहीं हैं. केवल ब्रह्म ही सत्य है. मात्र यही परंपरा परिवर्तित नहीं होगी. बाकी हर जगह परंपरा में बदलाव आएगा. आज जो भी परंपराएं बनी हैं, वे पिछली परंपराओं को तोड़कर बनी हैं. उसी प्रकार आज की परंपराओं को कल की परंपराएं तोड़ेंगी. परंपराएं जब बनती हैं, तो उनका उद्देश्य जीवन को सहज करना होता है. अनावश्यक को छोड़ने से ही जीवन सहज हो सकता है. अगर परंपरा जीवन की प्रगति को रोक दे, तो उसका क्या लाभ? जो सामाजिक परंपराएं समाज की प्रगति में बाधक हैं, उनको तोड़ने के लिए ही अवतार आते हैं. महाभारत में असंख्य ऐसी परंपराएं थीं, जिनको तोड़ने के लिए कृष्ण आए और युद्ध किया. जो परंपराएं सुख न दें और समाज की प्रगति में बाधक हों, उनको बदलना ही श्रेयस्कर है. श्री शिरडी साईं बाबा ने भी इसीलिए अनेक धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं को तोड़ा और नई परंपराओं की शुरुआत की. रामनवमी के दिन उर्स का आयोजन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है.

भिखारी-रूप

मंदिरों के बाहर बहुत से बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं. क्या उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए?

ये बच्चे किसी लोभ-भावना से भीख नहीं मांगते हैं. उनकी तो मात्र इतनी इच्छा होती है कि उन्हें कुछ मिष्ठान, नारियल का टुकड़ा या अन्य कोई खाद्य-सामग्री मिल जाए. उनके चेहरों पर कितना निश्छल भाव होता है. इतने निर्धन होते हुए भी इन बच्चों के चेहरों पर कितनी खुशी दिखाई देती है. धन का लोभ तो उन्हें है, जिनके पास लाखों-करोड़ों हैं और फिर भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि लाखों-करोड़ों और मिल जाएं. इसके लिए वे अनेक टेढ़े-मेढ़े काम करते हैं. आवश्यक है कि ये लोग अपनी मनोवृत्तियां बदलें. ये दूसरी तरह से भीख मांगते हैं, किंतु इन पर सबका ध्यान नहीं जाता. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

दमदार कोहली फिर रंग में शमी की ज़ोरदार वापसी अश्विन का धमाकेदार प्रदर्शन

> वेस्टइंडीज में विराट ने दोहरा शतक लगाकर सचिन के एक और रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब बल्लेबाज तेंदुलकर ने दोहरा शतक 71 टेस्ट खेलने के बाद लगाया था जबकि कोहली ने यह कामयाबी 42 टेस्ट के बाद ही हासिल कर ली.

सैयद मोहम्मद अब्बास

टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा शुरू हो गया. भारतीय टीम ने उम्मीद के मुताबिक शानदार शुरुआत की है. हालांकि वेस्टइंडीज की टीम में अब पहले जैसी धार नहीं दिखती है. विराट की सेना ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 92 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने इस टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है. उनमें विराट की शानदार बल्लेबाजी के अलावा आर अश्विन की फिरकी का क़हर भी खूब देखने को मिल. अश्विन ने इसके साथ ही आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल किया. भारतीय गेंदबाजी की अहम कड़ी बन चुके अश्विन ऑलराउंडर की सूची में भी शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहे. इससे पूर्व वह नम्बर वन गेंदबाज रह चुके हैं. दूसरी ओर टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक बार फिर विराट का नाम सबसे ऊपर आएगा. उनकी लगन और क्षमता एक बार फिर उन्हें टेस्ट में भी कामयाब बल्लेबाज बनाती है. वन-डे और टी-20 में उनके बल्ले का कोई सानी नहीं है, लेकिन अब वह टेस्ट क्रिकेट में आए दिन नए-नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं. क्रिकेट के हर फॉर्मेट में विराट की बल्लेबाजी सुपरहिट है. एक वक्त था जब टीम इंडिया में सचिन के नाम को लेकर सुर्खियां बनी रहती थीं लेकिन अतीत से आगे बढ़ते हुए वक्त ने विराट के नाम पर मोहर लगा दी है. कहने का मतलब यह है कि अब विराट का कद सचिन की तरह आगे बढ़ रहा है. दोनों के बीच तुलना भी की जाने लगी है. रिकॉर्ड के खेल में सचिन से आगे अभी विराट भले ही न हों लेकिन वह तेजी से सचिन के हर रिकॉर्ड को बौना साबित करने में लगे हुए हैं.

मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. टीम में अरसे बाद शमी की वापसी हुई.

अश्विन ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारत की जीत में अहम योगदान दिया. स्पिनरों की भूमिका अलग दिख रही है. कैरेबियाई धरती पर अश्विन ने पहले बल्लेबाजी में कमाल दिखाते हुए 113 रन की जबरदस्त पारी खेलते हुए बतौर ऑलराउंडर बनने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया.

> स्पिन की बात की जाए तो आर अश्विन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. शमी का यह प्रदर्शन इसलिए अहम है, क्योंकि लम्बे समय बाद उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की है. इतना ही नहीं टीम इंडिया ने इस टेस्ट में कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं. एशियाई महाद्वीप के बाहर भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी विजय है. इससे पूर्व 2005 में बुलावायो में जिम्बॉब्वे को एक पारी और 90 रनों से हराया था.

सर विवियन रिचर्ड्स के गढ़ में विराट की धांसू पारी इस बात की गवाह है. वेस्टइंडीज में विराट ने दोहरा शतक लगाकर सचिन के एक और रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब बल्लेबाज तेंदुलकर ने दोहरा शतक 71 टेस्ट खेलने के बाद लगाया था जबकि कोहली ने यह कामयाबी 42 टेस्ट के बाद ही हासिल कर ली. इतना ही नहीं चार टेस्टों में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के पास है लेकिन अगर विराट इसी तरह से रन बनाते रहे तो यह रिकॉर्ड टूटने में देर नहीं लगेगी. सुनील गावस्कर ने यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ़ ही 1971 में बनाया था. वन-डे में अपने बल्ले का लोहा मनवाने वाले विराट इस समय दुनिया के सबसे ख़तरनाक बल्लेबाजों से एक हैं. उनके बल्ले की गूंज अब टेस्ट मैचों में भी देखने को मिल रही है. मैदान कोई भी हो लेकिन विराट का बल्ला खूब बोलता है. दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल विराट की बल्लेबाजी क्षमता को देखकर पूर्व खिलाड़ियों ने भी तारीफ की है.

गेंदबाजी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. टीम में अरसे बाद शमी की वापसी हुई जबकि उमेश यादव की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है. मोहम्मद शमी भारत के सबसे प्रतिभावान गेंदबाजों से एक हैं. करियर के शुरुआती दौर में उनकी गेंदबाजी को हर किसी ने सराहा लेकिन यह बात सत्य है कि वह चोटिल भी बार-बार होते रहे हैं. करीब डेढ़ साल क्रिकेट से दूर रहने वाले शमी ने इस बार अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की है. शमी ने अंतिम बार 2015 में कंगारुओं के खिलाफ टेस्ट खेला था. शमी की वापसी वेस्टइंडीज के खिलाफ यादगार रही है, क्योंकि उन्होंने केवल 13 टेस्टों में 50 विकेट लेकर वेंकटेश प्रसाद के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अमरोहा शहर से ताल्लुक रखने वाले शमी ने वन-डे क्रिकेट में करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 47 वन-डे में 87 विकेट चटखाए हैं. दूसरी ओर स्पिन की बात की जाए तो आर अश्विन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. शमी का यह प्रदर्शन इसलिए अहम है, क्योंकि लम्बे समय बाद उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की है. इतना ही नहीं टीम इंडिया ने इस टेस्ट में कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं. एशियाई महाद्वीप के बाहर भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी विजय है. इससे पूर्व 2005 में बुलावायो में जिम्बॉब्वे को एक पारी और 90 रनों से हराया था. टीम ने अपने नए कोच के साथ ढलने की कोशिश की है. भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज जाने से पूर्व कैम्प में पसीना बहाया था. धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से विराट कोहली टेस्ट टीम को नए तरीके से बनाने में लगे हुए हैं. कप्तानी में भी विराट कोहली में आत्मविश्वास देखा जा सकता है. एंटीगा टेस्ट की बात की जाए तो टीम इंडिया ने यहां ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. इस टेस्ट में अश्विन पहली बार एशिया के बाहर शतक के साथ पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में अश्विन ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारत की जीत में अहम योगदान दिया. स्पिनरों की भूमिका अलग दिख रही है. कैरेबियाई धरती पर अश्विन ने पहले बल्लेबाजी में कमाल दिखाते हुए 113 रन की जबरदस्त पारी खेलते हुए बतौर ऑलराउंडर बनने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया. पहली पारी में विकेट न मिलने के बाद दूसरी पारी में उनकी फिरकी में कैरेबियाई टीम फंसती दिखी. उन्होंने दूसरी पारी में सारा हिसाब बराबर करते हुए सात विकेट हासिल कर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को आने वाले टेस्ट के लिए भी चेताया है. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया है. कुल मिलाकर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज दौरे का आगाज शानदार तरीके से किया है. ऐसे में आने वाले टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम बेहद कमज़ोर दिख रही है.■

Rio2016

और पाक-साफ होकर निकले नरसिंह यादव

रियो में अब पदक की आस

खेलों की दुनिया में ओलम्पिक का एक अलग मुकाम होता है. दुनिया का बड़े से बड़ा एथलीट ओलम्पिक का हिस्सा बनना चाहता है. किसी भी खिलाड़ी का करियर ओलम्पिक के बगैर अधूरा माना जाता है. करियर में तमाम उपलब्धियों के साथ अगर ओलम्पिक में पदक मिल गया तो उसका खेल यादगार बन जाता है. करीब चार साल की कड़ी मेहनत के बाद ओलम्पिक में खेलने का मौका मिलता है. लंदन ओलम्पिक के बाद अब रियो ओलम्पिक की बारी है. दुनिया के तमाम देश के खिलाड़ी इस समय रियो में पदक जीतने का दावा ठोंक रहे हैं. देश के नामी गिरामी खिलाड़ी पदक जीतने का सपना लेकर रियो पहुंच चुके हैं. भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी उम्मीद के मुताबिक ठीक चल रही थी, लेकिन भारतीय दल की रवानगी से पूर्व कुछ खिलाड़ियों को डोपिंग में लिप्त पाये जाने की ख़बर ने पूरे भारतीय खेल जगत में हड़कम्प मचा दिया है. पहलवान नरसिंह यादव का नाम भी सवालों के घेरे में था, लेकिन नाडा की सुनवाई के बाद नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी गई. करीब कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार समाप्त हो गया.

दरअसल रियो ओलम्पिक को डोपिंग के डंक से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक संघ बेहद सतर्क दिख रहा है. इसी कड़ी में रूस के कई खिलाड़ी सरे आम डोपिंग के घेरे में पकड़े गए और उन पर कड़ी कार्रवाई भी हुई. भारतीय खिलाड़ी भी इससे अछूते नहीं रहे. कुछ भारतीय खिलाड़ियों को डोपिंग के डंक ने डसा है. इस घटना के बाद से भारतीय खेल जगत में काफी विवाद भी हो चुका है. दो खिलाड़ियों को डोपिंग में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है. उनमें पहलवान नरसिंह यादव और शॉट पटर इंदरजीत सिंह के नाम सामने आए थे. दोनों ही खिलाड़ी देश के स्टार एथलीटों में से एक हैं, लेकिन नरसिंह यादव को जांच के बाद रियो ओलम्पिक में जाने का रास्ता साफ हो गया. दरअसल डोप के इस क़हर से भारतीय उम्मीदों को ओलम्पिक में बहुत बड़ा झटका लगा है. दोनों के रियो से बाहर होने की हालत में भारतीय खेल प्रेमियों को मायूसी भी थी, लेकिन इस कांड से भारतीय खेल जगत शर्मसार भी हुआ. दूसरी ओर यह भी मालूम हुआ है कि दोनों ही खिलाड़ियों को किसी साज़िश का शिकार भी होना पड़ा है. अभी इस बारे में कहना जल्दबाज़ी होगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि दामन में जब एक बार दाग़ लग जाता है तो उसे हटाने में काफी वक्त भी लगता है. कुछ भी हो नरसिंह ने हार नहीं मानी. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह को बहुत बड़ी राहत दी है.

नरसिंह पंचम यादव यह नाम इस समय भारतीय खेल जगत में खूब सुर्खियां बटोर रहा है. नरसिंह यादव के सफर पर अगर नज़र दौड़ायी जाये तो इतना तो साफ है कि इस खिलाड़ी ने कई मौकों पर भारतीय झंडा बुलंद किया है, लेकिन ओलम्पिक में कोटा हासिल करने के बाद सुशील कुमार से लेकर उनकी तनातनी भी किसी से छुपी नहीं है. दरअसल कोटा हासिल करने वाले नरसिंह ओलम्पिक में जाने का हकदार थे लेकिन सुशील भी रियो ओलम्पिक को लेकर लम्बे समय से पसीना बहा रहे थे. दरअसल सारा खेल भार वर्ग का था. नरसिंह ने 74 किलो वर्ग में रियो ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई किया जबकि इसी वर्ग में सुशील कुमार अपना दांव लगा रहे थे. उनकी दावेदारी को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के माथे पर बल आ गया लेकिन बाद में नरसिंह को ओलम्पिक में भेजने का फैसला किया गया. इसके बाद दोनों पहलवानों के बीच का मतभेद खुलेआम सामने आ गया. इतना ही नहीं सुशील कुमार ने ललकारते हुए नरसिंह से मुकाबला करने की बात तक कह डाली. सुशील कुमार नरसिंह से फाइट करना चाहते थे और उनके अनुसार जो जीतेगा वहीं ओलम्पिक का हकदार होगा. मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था. आखिर में यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया. दिल्ली हाईकोर्ट में नरसिंह को जीत मिली लेकिन इसके बाद की कहानी बदल गई. अब वह डोपिंग में फंसते नज़र आये हैं. तमाम परेशानियों के बावजूद नरसिंह अब रियो में अपना जलवा दिखायेंगे. अब यह देखना रोचक होगा कि रियो में भारतीय पहलवान कैसा प्रदर्शन करते हैं.

दूसरी ओर एक अन्य खिलाड़ी भी डोपिंग की गिरफ्त में पाया गया है. गोला फेंक के एथलीट शॉट पटर इंदरजीत सिंह बड़ी उम्मीदों के साथ रियो ओलम्पिक के सफर पर जाना चाहते थे लेकिन डोपिंग के खेल में उनका सफर रोक दिया है. हालांकि उनका शुरुआती नमूना पॉजीटिव पाया गया था लेकिन राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट के दौरान जो कि 29 जून को लिया गया डोप का नमूना साफ-सुथरा पाया गया. इस आधार पर उनको राहत मिलती है कि नहीं यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी. कुल मिलाकर ओलम्पिक के समय ऐसी घटनायें विश्व खेल जगत में सुर्खियां बन जाती हैं. दरअसल देश के लिए पदक की आस लेकर रियो पहुंचने वाले खिलाड़ी दुनिया जीतने का दम भरते हैं लेकिन इस रास्ते कुछ गलत कदम अक्सर करियर को बर्बाद कर देता है. बरहाल रियो के खेल में भारतीय खिलाड़ियों को केवल अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

हिट फिल्म की तलाश में

परिणीति चोपड़ा

परिणीति फिल्म *मेरी प्यारी बिंदू* से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसमें उनके हीरो आयुष्मान खुराना हैं. मगर लगता है परिणीति कुछ धमाकेदार वापसी करना चाहती हैं और इसके लिए भी वह कोशिश में जुटी हुई हैं.

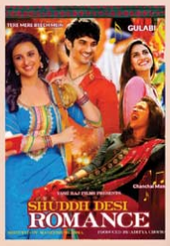

प्रवीण कुमार

परिणीति चोपड़ा के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही. कुछ सालों में ही उन्होंने *लेडिज वर्सेज रिकी बहल, इश्कजादे, शुद्ध देसी रोमांस और दावत-ए-इश्क* जैसी फिल्मों से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया. मगर 2014 में आई उनकी फिल्म *किल दिल* बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और उसके बाद परिणीति भी बॉलीवुड से कहीं गायब सी हो गईं. पिछले दो साल तक उनकी कोई खोज-ख़बर नहीं मिली, मगर अचानक जब इस साल परिणीति अवतरित हुईं तो काफी बदली-बदली नज़र आईं. वो इतनी स्लिम-ट्रीम नज़र आईं कि लोग उनके लुक को देख हैरान रह गए. फिर लोगों को पता चला कि परिणीति कहां व्यस्त थीं.

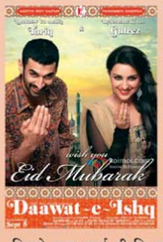

दरअसल, वो बॉलीवुड में फिर से मज़बूती से अपना पैर जमाने की कोशिश में जुटी हुई थीं और इसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी पर कड़ी मेहनत की. आते ही उन्होंने एक के बाद एक हॉट फोटोशूट कराए और फिर ख़बर आई कि परिणीति फिल्म *मेरी प्यारी बिंदू* से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसमें उनके हीरो आयुष्मान खुराना हैं. मगर लगता है परिणीति कुछ धमाकेदार वापसी करना चाहती हैं और इसके लिए भी वह कोशिश में जुटी हुई हैं.

परिणीति किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म करना चाहती हैं, ख़ास तौर से सलमान खान के साथ. उन्होंने कई हीरोइनों का करियर संवारा है और वाकई में परिणीति की जो मौजूदा स्थिति है, उसके लिए सलमान जैसा सुपरस्टार ही कुछ कर सकता है. इसलिए परिणीति भी सलमान के साथ फिल्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गई हैं. एक सूत्र का कहना है, परिणीति, सलमान के साथ काम करना चाहती हैं. यहां तक कि वो सलमान से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रही हैं, ताकि उनके साथ काम करने की पूरी संभावना बन सके. हालांकि अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि सलमान अपने दूसरे प्रोजेक्टों में काफी व्यस्त हैं. वैसे पिछले साल चर्चा थी कि परिणीति *सुल्तान* में सलमान के अपोजिट नज़र आ सकती हैं, मगर अफसोस यह फिल्म अनुष्का शर्मा को मिल गई और साल 2016 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी. उस समय यह बात सामने आई थी कि सलमान, परिणीति को फिल्म में लेने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो रोल के लायक नहीं हैं. हालांकि बाद में परिणीति ने इस तरह की ख़बरों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्हें फिल्म सुल्तान कभी ऑफर ही नहीं गई थी. ख़ैर, जो भी हो, पर परिणीति की ये स्थिति हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा. बड़े स्टार के साथ फिल्म पाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है. हाल ही में परिणीति फिल्म *ढिशूम* में एक छोटे से किरदार में नज़र आईं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुल्तान की गलतियों का फायदा उठा रहे हैं आमिर

अब आमिर खान की दंगल धीरे-धीरे अपना प्रमोशन शुरू कर रही है. उन्होंने ने टीम के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग प्लान तैयार किया है और ये प्लान है सुल्तान की गलतियां. जी हां, दंगल का प्रमोशन शुरू होने वाला है और आमिर फिल्म को उन गलतियों के सहारे प्रमोट करने जा रहे हैं जो सुलतान ने की.

दरअसल, आमिर ने खुद को पीछे कर दिया है और दंगल में अपनी बेटियों को आगे करने का फैसला किया है. फिल्म को महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाते हुए प्रमोट किया जाएगा, वो सबसे बड़ी गलती जो सुल्तान में सलमान खान से हो गई. आमिर खान ने अपनी टीम को सख्त हिदायत दी है कि महिला और उनके मुद्दों को जितना उठाया जा सकता है उठाया जाए. दंगल न पहलवानी के बारे में होगी, न पहलवान के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सलमान इस्तेमाल कर चुके हैं. दंगल होगी दो पहलवान लड़कियों के बारे में और यही मुद्दा सलमान ने सुल्तान में छोड़ दिया. जो उनकी गलती थी. फिल्म में आर्फा एक बेहतरीन पहलवान होती है, लेकिन सुल्तान से शादी करने के बाद वो सबकुछ छोड़ देती है, अपना ओलंपिक में जाने का सपना तक. अब आमिर खान महिलाओं के इसी प्वाइंट और अधिकारों पर बात करते हुए दंगल प्रमोट करने वाले हैं.■

दंगल का प्रमोशन करेंगे अजय देवगन!

अजय देवगन ने इन दिनों सोशल मीडिया पर *माय गर्ल माय स्ट्रेंथ* नामक कैम्पेन शुरू किया है. उन्होंने अपनी बेटी न्यासा के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उसे अपनी स्ट्रेंथ बताया है. उन्होंने अपने फॉलोअर्स से भी कहा है कि वे भी अपनी बेटियों के साथ अपने फोटो ट्वीटर पर पोस्ट करें. इसी दौरान एक प्रशंसक ने पूछ लिया कि क्या वे आमिर की फिल्म *दंगल* का भी प्रमोशन करेंगे जो कि गर्ल पॉवर पर आधारित है. अजय ने कहा कि यदि दंगल की यही थीम है तो मैं उस फिल्म को भी प्रमोट करूंगा.

अजय ने यह साबित किया कि वे किसी कैम्प का हिस्सा नहीं है और जो उन्हें सही लगता है वे वहीं करते हैं. गौरतलब है कि अजय और आमिर इश्क फिल्म साथ कर चुके हैं. फिलहाल अजय फिल्म *शिवाय* में व्यस्त हैं जो इस दिवाली पर प्रदर्शित होगी.■

जेल में लिखी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएंगे संजय दत्त

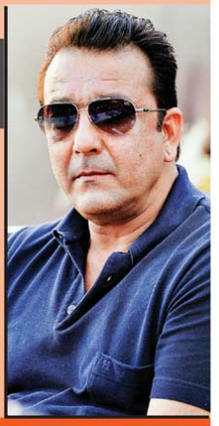

अनुराग कश्यप को संजय की दी गई स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है. वह अब इस पर फिल्म बनाने की सोच रहे हैं.

जेल में संजय दत्त ने कई काम किए. वे रेडियो जॉकी बने और कैदियों का मनोरंजन किया. जेल में दिए गए काम से कमाई की. काफी समय जेल में बिताते हुए उन्होंने बचे समय में एक स्क्रिप्ट भी लिख डाली. जेल से बाहर निकलने के बाद यह स्क्रिप्ट उन्होंने फिल्म निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप को दे दी थी. अनुराग ने यह स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें काफी पसंद भी आई. अब ख़बर है कि वे इस पर फिल्म बनाने की सोच रहे हैं.

संजय दत्त ने जेल में अपने अनुभव के बारे में लिखा है या कहानी काल्पनिक है, इसका इंतजार तो दर्शकों को समय आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.■

श्रद्धांजलि

रजत बड़जात्या की शोक सभा में फूट-फूट कर रोए सलमान

सूरज बड़जात्या के चचेरे भाई रजत बड़जात्या का पिछले दिनों कैंसर की बीमारी के बाद निधन हो गया और बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उनकी शोक सभा में सलमान खान सहित कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे. सूरज बड़जात्या से मिलते समय सलमान खान फूट-फूट कर रो पड़े. सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ पहुंचे थे. शोक सभा में रवीना टंडन और तारा शर्मा भी नज़र आईं. गौरतलब है कि रजत बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शन्स की डिजिटल मीडिया के हेड थे. काफी समय तक कैंसर की बीमारी से लड़ने के बाद उनका निधन हो गया.■

फ्लैशबैक

ज़ीनत अमान: इश्क में हमेशा नाक़ामयाबी ही मिली

अपने ज़माने में हुस्न के जलवे बिखेर कर लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस ज़ीनत अमान अब बॉलीवुड से दूर हैं. एक वक्त था जब लाखों लोग उन पर मर मिटने को तैयार थे, लेकिन ज़ीनत का दिल संजय खान पर आया. रितिक रोशन के ससुर और सुज़ैन के पिता संजय खान के साथ जीनत का रिश्ता शुरुआत में बेहद अच्छा रहा, पर पिक्चर अभी बाकी थी. इस रिश्ते का अंत ज़ीनत के साथ बेरहमी से हुई मारपीट के साथ ख़त्म हुआ. सच्चे प्यार की तलाश में जीनत को इश्क में हमेशा नाक़ामयाबी ही मिली.

जीनत लॉस एंजलिस से अपनी पढ़ाई ख़त्म कर भारत लौटीं. यहां आकर उन्होंने मॉडलिंग से पहले एक जानी-मानी मैगजीन में बतौर जर्नलिस्ट काम किया. इसके बाद उनका रूझान मॉडलिंग की तरफ हुआ और वह मैगजीन छोड़कर ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ चली गई. जीनत ने मॉडलिंग के दौरान मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसमें वह दूसरी रनरअप रहीं. वह मिस एशिया पैसिफिक बनीं. ग्लैमर की दुनिया से उनका पुराना नाता है. वह एक्टर रज़ा मुराद की कजिन हैं. आइऐ जानते हैं ज़ीनत के कुछ अनसुने किस्से जो आपने पहले शायद ही सुने हों.

1. ज़ीनत अमान ने बोल्डनेस को भी नई परिभाषा दी. कैमरे के सामने हिचक तोड़ वे बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिम्बल ख़िताब से ज़ीनत को नवाज़ा.

2. ज़ीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगल-ए-आज़म और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी. वे अमान नाम से लिखते थे.

3. ज़ीनत जब 13 वर्ष की थीं तब उनके पिता गुजर गए तो ज़ीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वे ज़ीनत खान से ज़ीनत अमान बन गईं.

4. ज़ीनत की मां ने हैंज़ नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ ज़ीनत को भी जर्मनी ले गईं. वहां से वे लॉस एंजिल्स पढ़ाई करने गईं, लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़ ज़ीनत भारत में करियर बनाने के लिए चली आईं.

5. ज़ीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वे मॉडलिंग की तरफ मुड़ीं. ताज महल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग भी की.

6. ज़ीनत को ओपी रल्हन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया. हलचल (1971) उनकी पहली फिल्म है. फिल्म पिटने के बाद ज़ीनत ने जर्मनी में अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने *हरे रामा हरे कृष्णा* ऑफर की जो 1971 में ही रिलीज़ हुई.

7. हरे रामा हरे कृष्णा में ज़ीनत ने अपने वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वे लाखों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गईं. उन पर फिल्माया गया गाना दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है.

8. वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी के कारण ज़ीनत अमान मैगज़ीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गईं. कई मैगज़ीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई.

9. सत्यम शिवम सुंदरम में ज़ीनत ने जम कर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया. फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद ज़ीनत की जम कर आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिये ख्याति भी मिली.

10. फिल्म डॉन में उन्होंने बतौर हीरोइन एक्शन किया और उनके रोल की जम कर सराहना हुई. डॉन के निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए ज़ीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक पैसा भी नहीं लिया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com